उन्नति विचार

वर्ष : 10 अंक : 4 अक्टूबर-दिसम्बर, 2005

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2

भारत में विकेन्द्रित शासन : सीमाएं व अवरोध

आपके लिए

आपदा प्रबंध विधेयक और स्थानीय सरकारें 11

सूचना अधिकार अधिनियम : सरल शब्दों में 14

अपनी बात

ब्लेंक नॉइज़ : वस्त्र बनते हैं सताने के साक्षी 20

स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु रोकने का गुजरात का अनुभव 22

मैं माइकल रिवर्स क्यों नहीं बन सकता? 28

बलात्कार के मामले में न्याय के प्रयास 31

गतिविधियाँ 36

संदर्भ सामग्री 40

अपने बारे में 43

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

सूचना का अधिकार : साझी जिम्मेदारी

भारत में सूचना का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण नागरिक अधिकार के रूप में स्थापित हुआ है। जून २००५ में सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया था और अक्टूबर, २००५ में उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में उठाया गया यह एक उल्लेखनीय कदम है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि नागरिक सूचनाप्रद चुनाव करें। एक निश्चित समय के अंतर से नागरिकों को मताधिकार का उपयोग करने का मौका मिलता है और वे राजनीतिक चुनाव करते हैं। परंतु चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह शासन करते हैं यह जानने का नागरिकों का अधिकार अबाध रहता है। अतः अब वे सूचना अधिकार का उपयोग करके शासन की शैली सम्बंधी जानकारी प्राप्त करेंगे तो शासन के पारदर्शी बनने के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। पारदर्शिता शासक को अधिक उत्तरदायी बनाती है। अतः ऐसी अपेक्षा है कि सूचना अधिकार अधिनियम भारत में शासन व्यवस्था को लोकोन्मुखी बनाएग।

गैर-सरकारी संगठनों ने पिछले तीन दशकों के दौरान भारत में सूचना के अधिकार को स्थापित करने हेतु उल्लेखनीय प्रयास किये हैं। विविध समस्याओं के संबंध में शासन व्यवस्था विषयक जानकारी लोगों तक पहुंचाने और शासन को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने का काम उन्होंने किया है। राजस्थान में 'मजदूर किसान शक्ति संगठन', आंध्र प्रदेश में 'लोकसत्ता' तथा दिल्ली में 'परिवर्तन' इसके अत्यंत जीवंत और ज्वलंत उदाहरण हैं। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन लोकाभिमुख बने, इसके लिए इन और इनके जैसे संगठनों के प्रयासों से लोगों की सहभागिता शासन को उत्तरदायी बनाने के लिए बढ़ी है। अब जब सूचना का अधिकार अधिनियम बन गया है तो गैर सरकारी संगठनों का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है। अधिनियम की व्यवस्थाओं और नियमों की जानकारी के प्रचार-प्रसार और नागरिक नेताओं को इससे संबंधित प्रशिक्षण - ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें गैर-सरकारी संगठन विशिष्ट भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे इस मामले में निपुण हैं। इसके उपरांत सरकार की सूचनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यवाही पर देखरेख रखने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही अदा करनी है। राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और स्थानीय सत्ताधिकारियों की सूचना-प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यवाही संबंधी संवेदनशीलता बढ़े, यह देखने का काम भी मोटे तौर पर उन्हें ही करना पड़ेगा।

इस सम्बंध में सरकारों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। सरकारों ने सूचनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त तैयारियां अभी नही की हैं। सरकारी सूचनाओं में गुप्तता रखने की दशकों पुरानी मानसिकता बदलने के प्रयास भी अभी शुरू नहीं हुए हैं। सरकारी स्तर पर विशेष रूप से सूचनाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी रखने वाले अधिकारियों का प्रशिक्षण भी इस संबंध में जरूरी है। निर्वाचित विधानसभा सदस्यों व सांसदों को राजनीतिक भूमिका अदा करनी है ताकि क्रियान्वयनकर्ता शासन को अधिक पारदर्शी बनाएं तथा सूचना अधिकार अधिनियम का भली-भांति क्रियान्वयन हो इस हेतु उन्हें राजनीतिक दबाव-समूह के रूप में काम करना पड़ेगा। यदि गैर-सरकारी संगठन लोगों के दबाव को वाणी देने में सफल होंगे तो यह काम अधिक उत्तम ढंग से हो सकेगा और शासन दोनों - शासक व शासित के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने वाला और विकास को आगे बढ़ाने वाला बन सकेगा।

भारत में विकेन्द्रित शासन : सीमाएं व अवरोध

'सोशियल वाच कोयेलिशन (इंडिया)' के अनुरोध पर 'उन्नति' के निदेशक **श्री बिनोय आचार्य** द्वारा हाल ही में यह आलेख तैयार किया गया है। देश के विविध भागों के गैर-सरकारी संगठनों के साथ हुई बातचीत के आधार पर यह लेख तैयार किया गया है। इसके अलावा १४ राज्यों में 'प्रिया' द्वारा प्रारंभ किये गए संयुक्त कार्यक्रम के प्रतिवेदनों, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आमंत्रित सात गोलमेज परिषदों के प्रतिवेदनों और 'द हंगर प्रोजेक्ट', इंस्टिट्यूट ऑफ सोशियल साइंसेज तथा यूएनडीपी द्वारा आयोजित उन अनेक बैठकों के विवरणों का भी लेखक ने इसमें आधार लिया है जिनमें वे स्वयं सहभागी रहे हैं। आईएसएस द्वारा जो 'पंचायती राज अपडेट' प्रकाशित होता है उसमें दिये गए तथ्यों और चर्चित मुद्दों का भी व्यापक रूप से इस लेख में उपयोग किया गया है।

प्रस्तावना

गरीबी की समस्याओं के निवारण का सम्बंध सिर्फ गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के साथ ही नहीं है, वरन् वे आधारभूत सेवाओं की प्रभावी एवं उत्तरदायी व्यवस्थाओं के महत्त्वपूर्ण परिबल हैं। विकेन्द्रित शासन अपने मुख्य स्वरूप में ही लोगों को ऐसी शक्ति दे देता है ताकि शासन से सम्बद्ध संस्थाएं आधारभूत सेवाओं की प्रभावी व्यवस्था के लिए काम करें और शासन करने वाली संस्थाओं को उत्तरदायी बनायें।

१९९२ में ७३वें व ७४वें संविधान संशोधन के बाद शासन की प्रक्रिया को लोगों के समीप लाने के प्रयास किये गए हैं। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण और राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की जांच पड़ताल करके समझा जा सकता है।

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण

२००४-०५ का वर्ष ७३वें व ७४वें संविधान संशोधन द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता का पुनरुच्चार करने वाला वर्ष बना रहा है। भारत के राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पंद्रह अगस्त, २००४ को सरपंचों को जल संग्रह के स्थानों और शिक्षण जैसे क्षेत्र में काम करने और बालकों के लिए आदर्श बनने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को सक्रिय करने और उसे फिर से प्राणवान बनाने हेतु शपथ दिलाई थी। जून, २००४ में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सभी मुख्य मंत्रियों के बीच ऐसी सहमति बनी थी कि गरीबी उन्मूलन और ग्राम विकास के सभी कार्यक्रमों का संचालन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा होगा।

प्रधान मंत्री ने इन बातों पर बल दिया था कि विकेन्द्रीकरण तभी फलदायी बन सकेगा जब 'नीचे से ऊपर की तरफ का आयोजन वाकई में वास्तविकता बन जाए और स्थानीय समुदाय स्थानीय रीति से प्राप्य संसाधनों और जन समस्याओं के बारे में उनके अपने अनुमान के आधार पर विकासलक्ष्यी प्रवृत्तियों का चित्र खींचें, उसके लिए सक्षम बनें और शक्तिशाली बनें।' प्रधान मंत्री ने देश में पंचायती राज क्षेत्र की प्रगति पर देखरेख रखने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है। इस मंत्री समूह की कार्य शर्तों में वित्तीय सत्ता हस्तांतरण की सिफारिशों के क्रियान्वयन, पंचायतों की कार्यवाही और उत्तरदायित्व, 'पैसा' का अमल और महिलाओं की सक्षमता विषयक मुद्दों का समावेश है।

राष्ट्रीय नीति

मई, २००४ में पंचायती राज के नए मंत्रालय का गठन किया गया। नये मंत्रालय के गठन के पश्चात पंचायती राज मंत्री ने तत्काल सात गोलमेज परिषदें आमंत्रित कीं। उनमें पंचायतों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु और पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति सुदृढ़ करने का आधारपटल तैयार करने हेतु राज्यों के मंत्रियों व वरिष्ठ सचिवों को आमंत्रित किया। इन सात गोलमेज परिषदों में कार्य सौंपने, कार्य करने वालों और वित्तीय व्यवस्था, ग्राम सभा की

सक्षमता, आयोजन, ग्रामीण व्यवसाय हाट समेत विकासपरक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, आरक्षण, 'पैसा', पंचायती राज का कार्यक्षेत्र, वार्षिक प्रतिवेदनों, चुनाव, अन्वेषण, क्षमता वर्धन, और ई-प्रशासन आदि मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

इन सात गोलमेज परिषदों में अनेक दूरगामी सिफारिशें की गईं। ये परिषदें दिल्ली की 'प्रिया', देहरादून की 'रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केन्द्र', बेंगलूर की 'नेशनल लॉ स्कूल', नई दिल्ली की 'इंस्टीट्यूट सोशियल साइंसेज' और 'इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया' तथा 'द हंगर प्रोजेक्ट' जैसे सभ्य समाज के अनेक संगठनों के साथ सहयोग से आयोजित की गई थी।

प्रथम गोलमेज परिषद में निम्न बातों के प्रति फिर से एक बार प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी :

१. पंचायतों को कार्य सौंपा जाना उप-संस्था सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, अर्थात् जो कार्य निचले स्तर पर हो सके, वह कार्य ऊपरी स्तर पर नहीं होना चाहिए।
२. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल लक्षण यह है कि सरकारी कर्मचारी निर्वाचित नेताओं के अधीन काम करें।
३. राजकोषीय तंत्र की श्रेष्ठ परंपरा यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारें स्थानीय सरकार को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करने में सहयोग दें।
४. प्रतिनिधित्व वाले प्रजातंत्र के रक्षक के रूप में ग्राम सभा काम करे और इस लिए इसे मजबूत बनाकर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए।

सात गोलमेज परिषदों में निम्न प्रकार के महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए थे :

१. अनुसूची-११ में दी गई सूची के अनुसार कार्य, कार्यचालकों और वित्त व्यवस्था संबंधी प्रवृत्तियों की सूची बनाई जाए या जिसमें अधिक सौंपना संभव हो और उससे जो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाएं, उन्हें प्रभावी रूप से प्रदान किया जाए और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।
२. जिला पंचायत के साथ डीआरडीए की कार्यवाही को समन्वित किये जाने के उपाय किये जाएं। राज्य सरकार के प्रशासनकर्ता जिस तरह से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते है उसी तरह से इसमें भी किया जाए।
३. ग्राम सभा के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित करना जिससे सहभागी लोकतंत्र और सुशासन के आधार का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर हो। (पंचायत की योजनाओं, हिसाबों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि ग्राम सभा स्वीकृत करे)।
४. केन्द्र सरकार की ओर से पंचायतों का यथासमय सरल तरीके से अनुदान मिले और केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं के अधीन भी पैसा मिले।
५. केन्द्रीय वित्त आयोग की भांति राज्य वित्त आयोग ऐसी व्यावहारिक सिफारिशें करें जिन्हें क्रियान्वित किया जाना संभव हो, उसके लिए उसे सुदृढ़ बनाना।
६. तमाम राज्यों में चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक संविधान की धारा २४३ जेड.डी. (२) की व्यवस्था के अनुसार जिला आयोजन समिति का गठन करना।
७. राज्य सरकारों के बजट में परंपरागत रूप से राज्य और जिला स्तरीय या क्षेत्र के विषय में विचार किया जाता है। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र को भी प्रत्येक विभाग के बजट में शामिल किया जाए। केन्द्र में योजना आयोग संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके ऐसी ही उचित व्यवस्थाएं कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन आवंटित करते समय प्रशासकीय अनुदान और विकासपरक अनुदान में अंतर करना जरूरी है।
८. विविध विकासपरक प्रयोजनों हेतु संस्था संबंधी मर्यादाओं के कारण यदि समांतर संस्थाओं की स्थापना हुई हो अथवा स्थापित होनी हो तो उचित स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के साथ उनका सतत नाभि-नाल संबंध स्थापित होना चाहिए, ताकि पंचायतें पूरी तरह से समांतर संस्थाओं के काम में शामिल हों।
९. तमाम अनुसूचित क्षेत्रों में 'पैसा' के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु कदम उठाने।
१०. आरक्षण के मार्फत महिलाओं की सक्षमता अनिवार्य प्रथम कदम था, पर क्षमता वृद्धि के अन्य अनेक उपायों से उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है। राज्य के कानून में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार एक या अधिक अवधि हेतु पदों का आरक्षण किया जा सकता है।
११. पंचायतों और नगरपालिकाओं के साथ संबंधित संवैधानिक

व्यवस्थाओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है अतः राज्यों के कानूनों में से असंगतियों को ढूंढकर निकालने और आदर्श कानून विकसित करने के प्रयासों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी भी उसी की है।

१२. संविधान में किये गए संशोधनों में ७३वां और ७४वां संविधान संशोधन सबसे अधिक लंबा है और सबसे अधिक विगतवार है। अतः पंचायत के कानून में अनिश्चितताएं, संदिग्धताएं और विसंगतियां रहती हैं और यह स्वाभाविक है इस तरह की व्यवस्थाएं हों। अतः मंत्रालय पंचायती राज से संबंधित न्याय क्षेत्र से जुड़ी संस्था विकसित करने के लिए विविध संस्थाओं के साथ मिल कर काम करे।

राज्य सरकार कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सोच सकती है ताकि उसे वर्तमान कानून संबंधी कानूनी स्पष्टताएं मिलें और फैसले में यदि कोई संदिग्धता हो तो उसके बारे में कानूनी स्पष्टीकरण मिल सके (ऐसा कहा जाता है कि सर्वोच्च अदालत ने पंचायत के बारे में ७४ फैसले दिये हैं और उच्च न्यायालय तथा अन्य स्तर की अदालतों ने पंचायतों के विषय में सैंकड़ों फैंसले दिये हैं)।

१३. राज्य के पंचायत विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में सत्ता सौंपने के अंकों की तालिका का समावेश होना चाहिए ताकि तुलना करना संभव हो सके।

१४. सभी स्तर के चुनावों हेतु एक ही मतदाता सूची तैयार करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयुक्तों के बीच विचार-विमर्श और प्रोत्साहन देना चाहिए। पंचायतों और नगरपालिकाओं के वार्ड को सभी स्तर के चुनावों हेतु मतदाता सूची तैयार करने का आधार मानना चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त को इन विषयों का दायित्व सौंपा जाना चाहिए:
(१) मतदाता सूचियों की तैयारी, (२) मत क्षेत्रों का सीमांकन (३) आरक्षण और उसकी एक के बाद एक अदला-बदली (४) उम्मेदवारी की योग्यता (५) चुनाव कराना (६) चुनाव के विवादों के संदर्भ में प्रथम चरण का निर्णय करने हेतु कार्यवाही

१५. संविधान की धारा-२४३ जेड.डी. में की गई व्यवस्था के अनुसार जिला आयोजन समितियों को भी राज्य चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र तले लाना चाहिए ताकि इन संवैधानिक व्यवस्थाओं का बराबर पालन हो, जो हमेशा नहीं होता।

१६. स्थानीय स्वराज की संस्थाएं अब स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, अतः लोकल फंड ऑडिट डाइरेक्टर (डीएलएफए) और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के काम को संवैधानिक जरूरत के अनुसार आधुनिक बनाने की जरूरत है और इसके लिए इन संस्थाओं के कार्य को नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल-सीएजी, केग) के अनुसार बनाना चाहिए।

१७. सामाजिक ऑडिट इस तरह होना चाहिए कि वह औपचारिक ऑडिट (अन्वेषण) हेतु पूरक हो और पंचायती राज के मजबूत व स्वस्थ विकास हेतु सामाजिक व औपचारिक ऑडिट के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना जरूरी है।

१८. प्रभावी सामाजिक ऑडिट हेतु पूरी सूचनाएं पूर्णतया सार्वजनिक हों, इसका बहुत महत्त्व है। अतः राज्य सूचनाधिकार का कानून बनाने के बारे में सोच सकते हैं और इसके लिए राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसे जो कानून बने हैं उनके आधार पर बना सकते हैं।

१९. पंचायतों के लिए क्षमता वृद्धि हेतु सूचना टैक्नोलोजी और संचार महत्त्वपूर्ण साधन हैं, यह सर्व स्वीकृत बात है। उसके द्वारा वे संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से उन्हे सौंपे गए कार्य विशेष रूप से निर्णय लेने, सूचना की घोषणा, सेवाएं प्रदान करने, आंतरिक संचालन और क्षमता वर्धन अधिक उत्तम तरीके से कर सकती हैं।

२०. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता वृद्धि हेतु विधिवत अभिगम अपनाना चाहिए। उसमें सीधे क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण और सूचना टैक्नोलोजी के उपयोग की जरूरत है। उसमें लघुतम निर्धारित अभ्यासक्रम होना चाहिए या जो तमाम राज्यों में एक समान हो और स्थानीय संदर्भों के साथ मेल खाने वाला हो।

स्थानीय स्तर के प्रयास

(१) सत्ता सौंपना

गोलमेज परिषदों के प्रस्ताव कोई सरकारी आदेशों के भाग नहीं हैं। हालांकि उन्होंने राज्य स्तर पर अनेक सकारात्मक कदम उठाने हेतु प्रोत्साहन दिया है। बहुत से राज्यों ने प्रवृत्तियों की गणना करना शुरू किया है और पंचायतों को विविध विषय तब्दील करने

का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने तीनों स्तर की पंचायतों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए और उनको काम सौंपने के लिए मसौदे के रूप में रूपरेखा तैयार की है।

इसके उपरांत राशि आवंटन के लिए भी रूपरेखा बनाई है। छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे अनेक राज्यों में यह तय करने के लिए साथ मिल कर काम कर रहे हैं कि सरकार और गैर-सरकारी संगठन कार्य का हस्तांतरण कितना हुआ है। पंचायती राज राज्य का विषय है पर केंद्र का पंचायती राज मंत्रालय इस काम के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और उस पर निगरानी भी रखता है।

(२) चुनाव

विकेंद्रित शासन को मजबूत करने के लिए सही समय पर चुनाव होना महत्त्वपूर्ण मापदंड है। ७३वें संविधान संशोधन के अधीन स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के चुनाव आयोजित करने का काम राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है। त्रिपुरा, पांडिचेरी, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल में इन वर्षों के दौरान चुनाव हुआ हैं। झारखंड में उच्च न्यायालय ने तीन बार ३०-४-२००४, ३०-४-२००५ और १५-१०-२००५ अंतिम तिथि दी, फिर भी चुनाव नही हुए। सरकार ने अंततः २६.९.२००५ को पांच चरणों में चुनाव आयोजित करने की घोषणा की। उस समय फिर से एक बार आरक्षित पदों को चुनौती देती रिट पेश की गई और चुनाव प्रक्रिया रुक गई।

यथा समय चुनाव हों, इस संदर्भ में सभ्य समाज में जाग्रति बढ़ रही है और चिंता भी बढ़ रही है। केंद्रीय पंचायती मंत्रालय भी अत्यंत गंभीरतापूर्वक इस प्रक्रिया पर ध्यान देता है। राज्य सरकारों को ज्यादा राजनीतिक रुचि लेने और यथा समय, स्वतंत्र व न्यायसंगत चुनाव आयोजित करने हेतु राज्य चुनाव आयुक्त को सत्ता सौंपने की जरूरत है।

गुजरात में तहसील व जिला पंचायतों के चुनाव दिसंबर २००५ में आयोजित करने के लिए उच्च न्यायालय ने फैसला दिया और राज्य सरकार ने एक माह में ही चुनाव आयोजित कर दिये। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने यथा समय चुनाव कराने के लिए सख्त रुख अपनाया। राज्य चुनाव आयोगों ने चुनाव-पूर्व मतदाता-जागरूकता अभियान हेतु सभ्य समाज को समर्थन-सहयोग भी प्रदान किया है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए और उसी उम्मीदवार के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने के वास्ते यह एक अभिनंदनीय कदम है।

गत वर्ष उड़ीसा के राज्य चुनाव आयोग ने पंचायतों और पालिका के उम्मीदवारों को उनकी सम्पत्ति घोषित करना अनिवार्य कर दिया था। इस तरह, विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के लिए जो आदेश सर्वोच्च न्यायलय ने दिया था उसके संदर्भ में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसे आदेशों की परिपालना हो चुकी है।

उड़ीसा के राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कानून में अनेक परिवर्तन सुझाये हैं। उनमें चुनाव व्यय-सीमा को लांघने वाले उम्मीदवार अयोग्य ठहराये जाएं और चुनाव लड़ने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाये जाएं जैसे सुझाव समाहित है। उसने बोर्ड की आरक्षित सीटों और उनके सीमांकन का काम भी राज्य चुनाव आयोग को सौंपे जाने पर बल दिया है। यह काम जनगणना के साथ ही शुरू होना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने हेतु जो प्रयास कर रहै हैं यह एक उत्तम लक्षण है।

पंचायती चुनाव हेतु दो संतानों की शर्त को योग्यता के रूप में शामिल करने के संदर्भ में हाल के वर्षों में बहुत विवाद उत्पन्न हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में निर्णयों को मान्य रखा है। राजीव गांधी फाउण्डेशन ने इस नियंत्रक व्यवस्था को मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए अस्वीकार कर दिया है। उसने प्रधान मंत्री को एक प्रार्थना पत्र दिया है। गुजरात सरकार ने शुरू में यह व्यवस्था नहीं की थी, पर इस वर्ष इसे दाखिल करने का सोचा था जिसे बाद में छोड दिया। हिमाचल प्रदेश ने १६-२-०५ को यह व्यवस्था वापिस ले ली थी।

कर्नाटक सरकार ने चुनाव आयोग के दो संतानों संबंधी शर्त के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। मध्य प्रदेश ने भी इस व्यवस्था

को रद्द कर दिया है। दिल्ली की संस्था 'सामा' द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार दलित और महिला प्रतिनिधियों पर इस व्यवस्था का विपरीत असर होता है। ऐसी अपेक्षा रहती है कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनाव में नागरिकों की भागीदार अत्यधिक रहे। कर्नाटक में प्रथम चरण में ७० प्र.श. मतदाताओं ने मतदान किया और दूसरे चरण में ७३ प्र.श. मतदाताओं ने मतदान किया। दूसरे अनेक राज्यों में मतदान ७२ से ८० प्र.श. के बीच रहा है।

पंचायत में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ने में लोगों को बहुत आनंद आता है, परंतु वार्ड के पदों के चुनाव लड़ने में इतनी रुचि नहीं रहती। 'उन्नति' ने राजस्थान में जोधपुर जिले की ७५ पंचायतों के चुनावों का अध्ययन किया। यह चुनाव हाल ही में तीसरी समयावधि के लिए आयोजित हुए थे। यह अध्ययन बताता है कि ५० प्र.श. पदों हेतु ४ से ७ उम्मीदवार थे और सदस्यों के २०१५ पदों के लिए ४६७० उम्मीदवार थे। इस स्थिति से स्पष्ट है कि वार्ड सदस्यों के पद हेतु लोगों में कम रुचि रहती है। यह प्रोत्साहन देने में रुचि बढ़ रही है कि पंचायतों के चुनाव ही न हों। इसका अर्थ यह है कि पंचायत के प्रतिनिधि गण सर्व सम्मति से तय हों। पंजाब सरकार ऐसी पंचायतों को १ लाख रु. का इनाम देती है, गुजरात सरकार ने भी समरस पंचायत के रूप में परिचित इन पंचायतों के लिए नगद इनाम घोषित किया है।

यह समझने की जरूरत है कि सर्व सम्मति बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारे सीमांत समूहों की आवाजें नहीं सुनी जाती है और इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बलि दी जाती है। पंचायती राज कानून के क्षेत्र संबंधी एक विमर्श सभा में जब यह मुद्दा उठाया गया तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने बताया कि ऐसी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य सरकारों को और चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझने और तदनुसार व्यवहार करने की जरूरत है।

(३) आरक्षण

७३वें और ७४वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु सीटों और पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में नया नेतृत्व आये। बिहार में पंचायत कानून में पदों हेतु ऐसे आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। संविधान संशोधन की इन व्यवस्थाओं ने अवसरों से वंचित वर्गों के लोगों को नेतृत्व की भूमिका अदा करने हेतु सक्षम बनाया है।

हरियाणा में मेवात जिले में नीमखेड़ा पंचायत और महाराष्ट्र में या मदुराई जिले में पापापत्ती, कीरीपत्ती, नत्तरमंगलम् और कोट्टाक्चीयांडल पंचायतों जैसे अनेक स्थानों पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनमें ऊंची जातियों के लोग दलितों को उनकी उम्मीदवारी दर्ज नहीं करने देते।

कीरीपत्ती पंचायत में ऊंची जातियों के कठपुतली उम्मीदवारों के विरुद्ध जिन लोगों ने पी. पुंगाली नामक उम्मीदवार को मत दिया, उन दलित लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने हाल में ही ग्राम पंचायतों में चुने हुए सरपंचों के त्यागपत्र न स्वीकार करने का निर्णय लिया है। पंचायत प्रधान ने इस संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह गैर-संवैधानिक है और और इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक स्वीकृति भी बहुत चिंता का विषय है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के यौन शोषण और उन पर की जाने वाली हिंसा के सार्वजनिक मामले बढ़ रहे हैं, ताकि वे लोक-कल्याण के कदम न उठा सकें।

राजस्थान के टोंक जिले में देवली ग्राम पंचायत में महिला सदस्या सोसोरदेवी रैगर को तहसील पंचायत के हाल के चुनावों के दौरान निर्वस्त्र करके खुले आम घुमाया गया था। यह कृत्य गांव के ही ताकतवर लोगों ने किया था। ऐसी घटनाएं रोजाना दोहराई जा रही हैं। जिन महिला सरपंचों ने साहसिक कदम उठाये हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्तावों का आना काफी बढ़ गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पांच वर्ष की दूसरी अवधि के दौरान लगभग तमाम महिला सरपंचों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। ऐसे अविश्वास प्रस्तावों की संख्या बढ़ गई अत: राजस्थान सरकार ने ऐसी विशेष व्यवस्था की है ताकि चुनाव के बाद दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव न आयें। दलितों और महिलाओं की कानूनन राजनीतिक सहभागिता हो, यह चिंता का एक बड़ा मुद्दा

है और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

(४) निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा

सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिनिधियों की सुरक्षा एक चिंता का विषय है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी यह उतने ही महत्त्व का मुद्दा है और इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के जीवन के लिए असुरक्षा वाली घटनाएं बढ़ रही हैं।

आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलवादियों की ओर से जानलेवा धमकियां मिलती हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कोंडापुर के तथा वारंगल जिले के कंताथमकुर में सरपंचों को नक्सली आंतंकियों ने ११ अप्रैल और १९ अप्रैल २००५ को जान से मार डाला था। इन आतंकवादियों ने १० जुलाई २००५ को कडप्पा जिले के माधवरम् गांव के सरपंच को यह कहते हुए मार डाला था कि वह पुलिस का मुखबिर था।

छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में १३-६-२००५ को नक्सलवादियों ने तहसील पंचायत सदस्य विजय गिरि को जान से मार डाला क्योंकि कहा जाता था कि उसने नक्सलवादियों के विरुद्ध अभियान चलाया था। अनंतपुर जिले में जिला पंचायत के सदस्यों ने नक्सलवादियों की धमकी के कारण त्यागपत्र दे दिये। देश के अन्य भागों में भी पंचायतों के जीवन के लिए खतरे की घटनाएं घटी हैं। टेंडर के आवंटन, बोरवैल के स्थान और ऐसे अन्य मुद्दों को लेकर संघर्ष होता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर हमला होने के ये कारण होते हैं। उड़ीसा सरकार ने नक्सलवाद ग्रस्त क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था खड़ी की है।

(५) उत्तरदायित्व और पारदर्शिता

केरल और राजस्थान की उन गिने-चुने राज्यों में गणना होती है जहां पंचायती राज कानून में पारदर्शिता की व्यवस्था की गई है। हालांकि, केंद्र सरकार ने सूचनाधिकार कानून बनाया है और कई राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाये हैं जिससे भारत ने दुनिया में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, कदाचित भारत २२वीं सदी में पहुंचा है।

स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए विविध राज्य सरकारों ने अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उड़ीसा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके सरपंच को सस्पेंड करने का अधिकार कलेक्टर से ले लिया गया है। कलेक्टर अब सिर्फ राज्य सरकार को सस्पेंशन की सिफारिश ही कर सकता है।

केरल पंचायत अधिनियम में ऐसा संशोधन करने की योजना है कि जिससे पंचायत सदस्यों हेतु वर्ष में चार बार ग्राम सभा आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश में दिनांक १६.२.२००५ को मंत्रिमंडल ने पंचायत सदस्यों का काम उचित न लगने पर उन्हें वापिस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को सौंपा है। राजस्थान सरकार ने चार तिथियां - २६ जनवरी, पहली मई, १५ अगस्त और २ अक्टूबर – ग्राम सभा के लिए निर्धारित कर दी थी। अब उसने यह तय करना बंद कर दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया तहसील विकास अधिकारी और पटवारी एक ही तारीख को अनेक ग्राम सभाओं में उपस्थित नहीं हो सकते।

कर्नाटक सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए 'पंचायत जमाबंदी कार्यक्रम' शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत के कार्यों के विषय में ग्राम सभा में पूछताछ हो सकती है ताकि पंचायत के विषय में पारदर्शिता बने। इस कार्यक्रम में प्रशासनतंत्र लोगों की शिकायतें सुनता है। राजस्थान में ऐसा ही कार्यक्रम 'प्रशासन गांव के संग' शुरू किया गया है। इसमें उसी स्थान पर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

प्रशासनिक एवं वित्तीय विकेंद्रीकरण

स्थानीय संस्थाओं की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक व वित्तीय विकेंद्रीकरण एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इसके द्वारा स्थानीय संस्थाएं अधिक सक्षमता से सार्वजनिक सेवा प्रदान कर सकती हैं। अपने पंचायत कानून बनाते समय राज्यों ने ११वीं अनुसूची में पंचायतों के जो २९ कार्य दिए हैं, उनकी ही सूची का पुनर्लेखन कर दिया है बिना यह सोचे कि पंचायतें वे काम कैसे करेंगी।

यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नही है कि राज्य पंचायतों पर अत्यधिक अंकुश रखते हैं। पंचायत राज की संस्थाएं राज्य सरकार के एजेंट के रूप में ही ज्यादातर काम करती हैं। कोलकाता में जो प्रथम परिषद हुई थी उसने इस मुद्दे को अनेक राज्य सरकारों के

समक्ष प्रस्तुत किया था।

तमाम राज्य सरकारों ने, कार्यो, कर्मचारियों तथा वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में जितनी मात्रा में पंचायतों को अधिकार सौंपे हैं उनका प्रवृत्ति मापन शुरू किया गया है। मणिपुर सरकार ने जिला पंचायतों को कर्मचारियों सहित १० विभाग सौंपे हैं। अरुणाचल प्रदेश के पंचायत राज मंत्री ने विधानसभा को ऐसी सूचना दी है कि १० विषय पंचायतों को सौपे जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की मदद से राज्य वित्त आयोग के भाग के बतौर 'राज्य कोषीय विकेंद्रीकरण विश्लेषण इकाई' स्थापित करने का प्रस्ताव सौंपा है।

(१) नए कार्यक्रमों में पंचायत की सहभागिता

हाल ही में शुरू किये गए कई सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में क्रियान्वयन के केंद्रीय स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं को रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र में पंचायत को रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसी भांति बंजर जमीन विकास कार्यक्रम (हरियाली योजना) के क्रियान्वयन में पंचायतों को प्राथमिकता दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण अस्पतालों को आधुनिक बनाने हेतु पंचायतों को १०० करोड़ रु. आवंटित किये हैं।

यह काम पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग करता था। गोवा की सरकार को औद्योगिक विकास निगम से होने वाली आय की लगभग ९० प्रतिशत राशि इसी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। उड़ीसा में तमाम राजनीतिक दलों के विधानसभा सदस्यों ने विधानसभा 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से कराने की मांग की है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कांट्रेक्टरों द्वारा किया जाता है और इसमें होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ही यह सिफारिश की गई है। उड़ीसा की सरकार ने 'अन्त्योदय अन्न कार्यक्रम' और 'अन्नपूर्णा अन्न सुरक्षा योजना' का क्रियान्वयन पंचायत के माध्यम से करने का निर्णय भी लिया है। गुजरात में अन्न एवं नागरिक रसद सचिव ने ऐसी कार्यक्रम में दी है कि उचित भाव की दुकानें पंचायत और अन्न संगठन चला सकते हैं जिससे लोगों को आसानी से अनाज प्राप्त हो सके और भ्रष्टाचार दूर हो सके।

(२) डीआरडीए का जुड़ाव

'जिला ग्राम विकास संस्था' (डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी) ग्राम विकास संबंधी अधिकांश कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। वह अब भी प्रशासनिक संस्थाओं के साथ जुडी हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश व दूसरे कई राज्यों के अलावा वे कहीं भी जिला पंचायतों के हस्ते नहीं की गई। ग्राम विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद ने ३०-११-२००४ को कहा था कि 'जिला ग्राम विकास संस्थाओं' को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

उन्होंने ऐसा दावा किया है कि 'जिला ग्राम विकास संस्थाओं' की राशि पंचायतों को १५ दिन में मिल जाती है। 'कैग' का प्रतिवेदन बताता है कि कर्नाटक में १९९७-२००० के मध्य जिला पंचायतों को मिलने वाले अनुदान में से एक तिहाई अनुदान उन्हें वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान मिलता है और लगभग २० प्र.श. अनुदान तो वित्तीय वर्ष के ठेठ आखिरी दिन दिया जाता है। 'केग' का प्रतिवेदन बताता है कि जिला पंचायत के मुख्य लेखा अधिकारी व्यय और प्रतिवेदन लिखने में पर्याप्त अंकुश रखने हेतु सशक्त नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया से तहसील व ग्राम पंचायतों को यथा समय पैसा नहीं मिल पाता।

(३) आपदा प्रबंध

आपदा प्रबंध के संदर्भ में पंचायतों को कोई स्पष्ट अधिकार और दायित्व नहीं सौंपे गए। यह बात स्मरण करानी जरूरी है कि अतीत में विपत्ति की परिस्थिति में समुचित कार्यवाही न कर पाने की वजह से जिला कलेक्टरों के स्थानांतरण कर दिये गए थे। यह बात भी स्मरणीय है कि जब १९७८ में पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई थी तब पंचायतें नयी ही चुनी गई थी, फिर भी उसने राहत कार्य करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

अंडमान जिला पंचायत के सदस्यों ने सुनामी पीड़ितों को समुचित राहत प्रदान नहीं की, इस मुद्दे पर सागमट ने त्यागपत्र देने की धमकी दी थी। ऐसे उदाहरणों के बावजूद आपदा प्रबंध की हमारी व्यवस्था में औपचारिक रूप से पंचायतों को शामिल नहीं किया जाता।

गुजरात में भूकंप के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया में ग्राम सभा का उल्लेख उससे संबंधित नीति में अवश्य किया गया है पर उसके

आयोजन और नीति निर्माण में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक वार्तालाप करने में सरकार अयोग्य सिद्ध हुई है। सुनामी के बाद २९-१-२००५ को चेन्नई में यू.एन.डी.पी. के सहयोग से आई.एस.एस. द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें स्थानीय संस्थाओं की सहभागिता पर बल दिया गया था। उसमें निम्न सिफारिशें उभर कर आई थीं :

(१) पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंध की योजना बनानी चाहिए। सरकार को पंचायतों के सहयोग से एक पुनर्वास नीति बनानी चाहिए ताकि वह पीड़ित लोगों की मूलभूत जरूरतों पर गौर करे।

(२) पंचायत स्तर पर और पालिका स्तर पर आपदा प्रबंध हेतु स्वयंसेवकों के एक दल का गठन होना चाहिए।

(३) स्थानीय संस्थाओं को टैक्नोलोजी, खर्च, स्थल, ढांचागत सुविधाएं आदि के चयन और आयोजन विषयक निर्णयों में ग्राम सभा को शामिल करने की जरूरत है।

(४) पुनर्वास की प्रक्रिया में टैक्नोलोजी, खर्च, स्थल, ढांचागत सुविधाओं आदि के चयन व आयोजन संबंधी निर्णयों में ग्राम सभा को शामिल करने की जरूरत है।

(५) महिलाओं और बालकों हेतु विशेष योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

(६) आपदा प्रबंध के संबंध में स्थानीय संस्थाओं की क्षमता वृद्धि होनी चाहिए।

(४) पंचायत का कैडर

पंचायतों के लिए यदि अधिकारियों के और तकनीकी कैडर बनाये जाएं तो विकेंद्रित आयोजन हेतु वे स्वायत्तता निर्मित करते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी अपने मूल विभाग के प्रति वफादार होते हैं क्योंकि कैडर पर नियंत्रण रखने का काम विभागीय स्तर पर होता है।

गुजरात सरकार ने पंचायती राज कैडर की स्थापना की है परंतु पंचायतों के पास स्वायत्त कैडर नहीं है। कर्नाटक सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पंचायतों हेतु प्रशासनिक व तकनीकी स्टाफ का कैडर स्थापित करने की बात सोची है। उसने लोकायुक्त स्तर जैसी ही लोकपाल की व्यवस्था जिला पंचायत के लिए करने का सोचा है।

(५) राज्य वित्त आयोग

स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों को अनिवार्यतया राज्य वित्त आयोग का और जिला आयोजन समिति का गठन करना होता है। यद्यपि, ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र पिछड़ गया हो। बारहवें वित्त आयोग ने कहा है कि केंद्र सरकार के अनुदान देने के बाद उसे स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित करने में १५ दिन से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। हालांकि यह प्रक्रिया पांच वर्ष की अवधि में भी पूरी नहीं हुई। कई मामलों में पंचायती राज मंत्रालय ने इस संबंध में समर्थन व्यक्त किया है।

बारहवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि राज्य वित्त आयोग को जल अवाप्ति, सफाई व निर्वाह तथा काम को प्रधानता देनी चाहिए। बहुत लंबे अर्से से स्थानीय शहरी और ग्रामीण संस्थाओं की यही मांग रही है। पंचायतों व पालिकाओं को अधिक राशि देने की जरूरत वित्त आयोग ने समझी है। बारहवें वित्त आयोग ने २००५-२०१० की अवधि हेतु पंचायतों के वास्ते २०,००० करोड़ और शहरी स्थानीय संस्थाओं के लिए ५००० करोड़ रुपयों की अनुशंसा की है।

वह कहता है कि 'राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे और राज्य वित्त आयोग ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर भविष्यवाणी करने के बजाय आय एवं व्यय के संबंध में मानक अभिगम अपनायेगा। प्रति व्यक्ति व्यय के स्तर को कई श्रेष्ठ पालिकाओं व पंचायतों द्वारा हुए आनुमानिक खर्च के स्तर पर महत्त्व की सेवाओं की व्यवस्था हेतु लागू करना चाहिए।'

(६) ई-लिंकेज

केंद्र पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज पोर्टल शुरू करने का आयोजन किया है। देश की तमाम २.४ लाख पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इसमें १००० करोड रु. का खर्च आएगा। पंचायती राज मंत्रालय, वित्त आयोग और योजना आयोग संयुक्त रूप से यह व्यय वहन करेंगे। लगभग ७० करोड़ रु. प्रशिक्षण पर व्यय किये जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में सभी १४६ जनपद पंचायतों और १६ जिला पंचायतों में ई-कम्युनिकेशन (इलेक्ट्रानिक संचार) व्यवस्था शुरू की गई है।

केंद्र के वित्त आयोग ने आरंभ में ११ करोड़ रु. उसके लिए आवंटित किये हैं। एन.आई.सी. उसकी प्रगति पर ध्यान रखेगी।

इसी भांति गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (जी.एस.डब्लू.एन.-जीस्वान) ने समस्त २५ जिला पंचायतों और २२५ तहसील पंचायतों को इलेक्ट्रानिक सम्पर्क प्रदान किया है। कई पंचायतों ने इलेक्ट्रानिक सम्पर्क व्यवस्था स्थापित करने हेतु स्वयमेव प्रयास किये हैं। अन्य राज्यों में भी जिले व तहसील के स्तर पर इलेक्ट्रानिक सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास शुरू हुए हैं।

पंचायतों की प्रभावोत्पादकता

प्रत्येक राज्य की परिस्थिति अलग-अलग है, अतः पंचायतों की कार्यवाही का कोई मूल्यांकन कर पाना कठिन है। हालांकि, एक सामान्य चित्र निर्मित करने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य और कई अनुवर्ती उपाय बताये जा सकते हैं।

नोबल शांति पुरस्कार के लिए जिन १००० महिलाओं की उम्मीदवारी दर्ज की गई है, उनमें बिहार के मधुबनी जिले के लाखनोर तहसील पंचायत की सदस्या श्रीमती तिलिया देवी का भी समावेश था। उन्होंने मुशार समुदाय की जिस १५६ एकड़ भूमि पर ऊंची जातियों ने कब्जा कर लिया था, उसे मुक्त कराया था। तिलिया देवी स्वयं मुशार समुदाय की हैं, छः बालकों की मां हैं और दलितों की समस्याओं को हाथ में लेने के कारण उनके पति ने उनको त्याग दिया है। पितृसत्तात्मक और सामंतशाही व्यवस्थाओं के विरुद्ध ऐसी अनेक तिलिया देवियां लड़ रही हैं और सामाजिक न्याय तथा महिला न्याय के लिए प्रतिमानकारी काम कर रही हैं।

पुणे के पास की खडगवासला ग्राम पंचायत ने दैनिक कार्यक्रम में पारदर्शिता को अपनाया है। सरपंच विजय महादेव खोले कहते हैं कि जबसे पारदर्शिता को अपनाया है, तबसे विश्वसनीयता बढ़ी है। पंचायतों के द्वारा अधिक पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती। सूचना अधिकार अधिनियम आने से पंचायतें इसे स्वैच्छिक रूप से बार-बार अपनायेंगी, ऐसा लगता है।

अहमदाबाद जिले की कुंका ग्राम पंचायत में पिछले नव वर्ष से सारे झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत में ही किया जाता है। पुलिस कोई मामला दर्ज करने नहीं आती। डी.जी.पी ने समुदाय आधारित न्याय पद्धति अपनाने के लिए सरपंच सुश्री शारदा बेन पटेल का सम्मान किया था। अदालतों में मामले बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए यदि पंचायतें न्याय देने में शामिल हो जाएं तो इसे एक सकारात्मक कदम कहा जाएगा। गोरखपुर जिले के तारखुली गांव में पंचायत ने ऐसा फैसला दिया कि बलात्कार की शिकार युवती को अपराधी के संग ब्याहा जाएगा। ऐसी घटनाएं पंचायतों की विश्वसनीयता के संबंध में प्रश्न भी खड़े करती हैं।

पंचायतों की विश्वसनीयता और क्षमता उत्पन्न करने हेतु जयपुर में सम्पन्न सातवीं गोलमेज परिषद में विचार विमर्श हुआ था। इससे पूर्व 'हंगर प्रोजेक्ट' द्वारा ग्रुप दो विचार-विमर्श सभाएं आयोजित हुई थी। हाल के वर्षों में सभ्य समाज के संगठनों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और विशेष रूप से महिला सदस्यों को प्रशिक्षण देने और उनका नेटवर्क बनाना शुरू किया है। हंगर प्रोजेक्ट, प्रिया, आईएमएस आदि संस्थाओं ने राज्यवार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में लंबी अवधि तक चलाया है। केरल में सहभागी ग्रामीण आयोजन एक प्रतिमानकारी मध्यस्थता है, जो व्यापक रूप से लोकप्रिय बना है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त दल एवं मैन्युअल द्वारा हाथ में लिया गया है। राजस्थान में तीनों स्तरों की पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें सरकार विभाग और सभ्य समाज के संगठन शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में इसी प्रकार की प्रक्रिया का आयोजन हो रहा है।

सतत क्षमता वृद्धि होती रहे, इसके लिए राजस्थान सरकार तहसील में पंचायत संदर्भ केन्द्र (पीआरसी) स्थापित करने पर विचार कर रही है। इन पंचायत संदर्भ केन्द्रों के संचालन की कार्यवाही सभ्य समाज के संगठनों के अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है। विश्व बैंक के सहयोग से चलने वाला डीपीईपी कार्यक्रम ४८ तहसीलों में शुरू हुआ है। राजस्थान सरकार ने चालू वर्ष में १०० पंचायत संदर्भ केन्द्र स्थापित करना तय किया है। कई राज्यों में सेटकोम द्वारा भी प्रशिक्षण शुरू हुआ है। गुजरात सरकार ने सेटकोम में प्रशिक्षण मोड्यूल विकसित करने के प्रयास किये हैं।

शेष पृष्ठ 13 पर

आपदा प्रबंध विधेयक और स्थानीय सरकारें

भारतीय संसद में हाल ही में आपदा प्रबंध विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इस विधेयक में आपदा संचालन संबंधी स्थानीय, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के गठन की व्यवस्था की गई है। परंतु उसमें पंचायतों और पालिका जैसी स्थानीय स्वशासन की महत्त्वपूर्ण संस्थाओं की भूमिका नजरंदाज की गई है। दिल्ली के गैर-सरकारी संगठन 'प्रिया' के **श्री मनोज राय** ने इस लेख में विधेयक की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं और उसमें इस संदर्भ में जरूरी परिवर्तनों की चर्चा की है।

प्रस्तावना

भारत में बाढ़, तूफान, अकाल, भूकंप, सुनामी जैसी प्रकृतिक आपदाएं अक्सर विविध भूभागों में आक्रमण करती हैं। ऐसी आपदाओं सामना करने हेतु और इनके प्रभाव को यथासंभव कम से कम करने के लिए संस्थागत कदम उठाये जाने जरूरी हैं। भारत सरकार ने इसके लिए संसद में पंचायतों और पालिकाओं को स्थानीय स्तर की और तीसरे स्तर की सरकार बनाने हेतु दो संशोधन - ७३वां और ७४वां संविधान संशोधन किया था, इसके बाद १३ वर्षों के बाद आए इस विधेयक में इन स्थानीय सरकारों की सक्रिय भूमिका की उपेक्षा की गई है। अतः इस प्रस्तावित विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की जरूरत है। ये परिवर्तन पंचायतों और पालिकाओं को आपदा प्रबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपने के क्षेत्र में होने चाहिए।

आपदा प्रबंध विधेयक की कुछेक व्यवस्थाएं

आपदा प्रबंध विधेयक-२००५ में जो कुछेक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएं निम्नानुसार की गई हैं:

(१) राष्ट्रीय आपदा प्रबंध सत्ता मंडल का गठन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हो, राष्ट्रीय सलाहकार समिति उन्हें सलाह दे और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति उनकी मदद करे।

(२) राज्य आपदा संचालन सत्ता मंडल का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो, राज्य सलाहकार समिति उन्हें सलाह दे और राज्य कार्यकारी समिति उनकी मदद करे।

(३) जिला आपदा प्रबंध सत्ता मंडल का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हो, सलाहकार समिति उन्हें सलाह दे और जिला आपदा सत्ता मंडल योजना तैयार करे और क्रियान्वयन करे।

जिला सत्ता मंडल के आदेशों के अधीन रह कर स्थानीय सत्ता मंडल

(१) यह देखेगा कि आपदा प्रबंध हेतु उसके अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए।

(२) यह देखेगा कि आपदा प्रबंध के साथ संबंधित संसाधनों की संभाल इस तरह हो ताकि विपत्ति के किसी खतरे के समय या वास्तविक विपत्ति के समय वे आसानी से उपलब्ध हों।

(३) यह देखेगा कि उसके अधीन व उसके कार्यक्षेत्र में जो निर्माण कार्य हों वे तमाम राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला सत्ता मंडलों द्वारा विपत्ति के प्रतिरोध व निवारण हेतु तय किये गए स्तरों के अनुसार ही हों।

(४) राज्य की योजना और जिला योजना के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य की प्रवृत्तियां हाथ में लेगा।

जिला सत्तामंडल आपदा प्रबंध हेतु जो उसे जरूरी लगें वे तमाम कदम उठाएगा।

बदलाव की जरूरत

भारत सरकार की 'नेशनल इंस्टिट्यूट ऑव् डिजास्टर मैनेजमेंट' (एनआईडीएम) और 'प्रिया' द्वारा २१.११.२००५ को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। योजना आयोग की सदस्य डॉ. सईदा एस. हमीद ने कार्यशाला की अध्यक्षता की थी। कार्यशाला में बिहार, गुजरात, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों ने बाढ़, तूफान, भूकंप और सुनामी के संचालन में पंचायतों द्वारा निभायी गई भूमिका के बारे में अपने अनुभव बताये थे। इस कार्यशाला में प्रस्तावित विधेयक में क्या परिवर्तन होने चाहिए, उसके संबंध में हुई चर्चा के आधार पर

संविधान संशोधन और आपदा प्रबंध विधेयक ७३वां और ७४वां संविधान संशोधन	आपदा प्रबंध विधेयक
(१) पंचायतों और पालिकाओं को स्थानीय स्वशासी संस्थाएं माना गया है।	(१) पंचायतों और पालिकाओं को अन्य स्थानीय सत्ता मंडलों या संस्थाओं के समान माना गया।
(२) स्थानीय सरकारें स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम करें।	(२) कलेक्टर व उसके सलाहकार आपदा संचालन योजना का समन्वय करें व उनका अमल करें।
(३) जिला योजना समिति जिले की योजना का मसौदा तैयार करे।	(३) जिला सत्ता मंडल जिला पंचायत व पालिकाएं साथ-साथ विचार विमर्श करके योजना तैयार करे।
(४) यह संशोधन कानून पूर्ववर्ती सभी कानूनों से ऊपर रहे।	(४) इस कानून की व्यवस्था लागू हो।

निम्नानुसार परिवर्तन किये जाने पर सर्व-सम्मति थी :

(१) व्याख्या में परिवर्तन

संविधान के भाग-९ और भाग-९ ए में पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की व्याख्या स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में की गई है। हालांकि, आपदा प्रबंध विधेयक अपने प्रकरण-१ में उनके स्थानीय सत्ता मंडलों में से एक सत्ता मंडल के रूप में लेता है। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में इस विधेयक में उनको उचित मान दिया जाना चाहिए। विपत्ति की किसी भी स्थिति में विविध राज्यों में से पंचायतों और नगरपालिकाओं के जो अनुभव मिले हैं उनसे उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रकट होती है। सबसे पहले इन्होंने ही विपत्ति के सामने एक संस्था के बतौर जवाब दिया था।

आपदा प्रबंध के अब तक के अनुभव

- स्थान खाली करवाने, बचत और राहत कार्य में समुदाय व पंचायतों तथा पालिकाओं जैसी उनकी संस्थाएं आगे आती हैं।
- प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री या जिला कलेक्टर जैसे उच्च स्तरीय सत्ताधिकारी फिर पीड़ित लोगों की नियति अपने हाथ में ले लेते हैं।
- स्थानीय सरकारों को यदि कोई भूमिका दी जाए तो उन्हें सरकारी विभागों के आदेशों का क्रियान्वयन ही करना होता है।
- ऊपर से नीचे का अभिगम अपनाया जाता है और बहुधा 'अत्यधिक राहत' की समस्या भी खड़ी होती है।
- ज्ञान का अभाव है, पद्धतियां और व्यवहार उपयोगी हों ऐसा जरूरी नहीं।
- मुख्य हितैषियों की सबसे नजदीकी संस्थाओं को एक किनारे ही रहने का कर्तव्य सौंपा जाता है।

(२) समानुपातिक प्रतिनिधित्व

विधेयक के प्रकरण-४ में जिला आपदा प्रबंध संत्ता मंडल की व्यवस्था की गई है। उसमें मात्र जिला स्तरीय अधिकारियों का ही समावेश किया गया है। उसमें पंचायतों, पालिकाओं और गैर-सरकारी संगठनों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(३) सिद्धांत सर्वत्र समान हों

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंध सत्ता मंडलों के अध्यक्ष क्रमशः प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री होते हैं। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए जिला आपदा सत्ता मंडल में जिला पंचायत के प्रमुख अध्यक्ष होने चाहिए। जबकि इस विधेयक में कलेक्टर को जिला आपदा संचालन सत्ता मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है।

(४) योजना में सहभागिता

विधेयक के प्रकरण-५ में जिला आपदा प्रबंध योजना की व्यवस्था की गई है। वह सहभागिता के स्तर पर तैयार होनी चाहिए और वह पंचायतों व पालिकाओं द्वारा तैयार होनी चाहिए। आपदा प्रबंध के आयोजन की यह प्रक्रिया पंचायत और पालिका स्तर पर होनी चाहिए। जिला आपदा प्रबंध सत्ता मंडल (डी.डी.एम.ए) इस जिला आयोजन समिति को यह योजना बनाने में मदद करे। जिला आयोजन समिति का गठन संविधान की धारा-२४३ जेड.डी. के अनुसार होता है।

(५) प्रभावी व स्पष्ट भूमिका

पंचायतों व पालिकाओं को निम्न मामलों में प्रभावी व स्पष्ट भूमिकाएं सौंपनी चाहिए और इसके लिए विधेयक के प्रकरण-६ में व्यवस्था होनी चाहिए।

(१) विपत्ति के प्रतिरोध और निवारण हेतु आयोजन।

(२) लोगों और क्षेत्र के संबंध में असहायता का अनुमान।

(३) नुकसान का अनुमान।
(४) पुनर्वास का पैकेज बनाना और लाभार्थियों की पहचान।
(५) सूचना का प्रचार-प्रसार और ज्ञान में वृद्धि।
(६) पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य का क्रियान्वयन और उस पर देखरेख।

(६) मार्ग और साधन

विपत्ति के प्रतिरोध, निवारण और प्रबंध हेतु क्षमतावर्धन करने के मार्गों व साधनों के बारे में विधेयक में विवरण देना चाहिए। पंचायतों और पालिकाओं के क्षमतावर्धन हेतु प्राप्य संसाधन और वित्तीय संसाधन तय करने चाहिए। एसआईआरडी, एटीआई, अन्य सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के साझे प्रयास से उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

(७) महिलाओं और बालकों की जरूरतें

ऐसा भी बताया गया कि इस विधेयक में महिलाओं और बालकों की जरूरतों को ध्यान में रख कर निश्चित कदम नहीं उठाये गए। वस्तुतः विपत्ति के समय वे सबसे ज्यादा असहाय स्थिति में होते हैं।

उपसंहार

आपदा प्रबंध विधेयक की व्यवस्थाओं को देखते हुए और उपर्युक्त सुझावों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक में निम्न बातों का समावेश किया जाए तो आपदा संचालन में स्थानीय सरकारें अधिक उत्तम रूप से भूमिका अदा कर सकेंगी:

(१) जिला आपदा प्रबंध सत्ता मंडल के अध्यक्ष पद पर जिला पंचायत का प्रमुख होना चाहिए। (२) स्थानीय सरकारों की आयोजन-प्रक्रिया के साथ आपदा योजना का समन्वय हो और इस तरह नीचे से ऊपर की आयोजना पद्धति अपनाई जाए। (३) जिला सत्ता मंडल या आपदा प्रबंध संबंधी अधिकारी ग्राम सभा और बोर्ड के प्रति उत्तरदायी हों और उनके कार्यों में पारदर्शिता आए। (४) स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाया जाए और उसके लिए स्थानीय नेताओं की स्पष्ट भूमिका अंकित हो तथा उस भूमिका को अदा करने के संसाधनों के बारे में भी स्पष्टता हो। (५) ज्ञानवृद्धि और कौशल वृद्धि हेतु स्थानीय सरकारों की क्षमता बढ़ाई जाए। ■

पृष्ठ 10 का शेष भाग

यह 'राज्य ग्राम विकास संस्थान' (एसआईआरडी) द्वारा हुआ है। राजस्थान सरकार एसआईआरडी मं सेटकोम स्टूडियो स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत में यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) ने विकेन्द्रीकरण के सामुदायिक व्यवहारों के संबंध में सूचना-ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु 'सोल्युशन एक्सचेंज' नामक एक वेब-आधारित व्यवस्था निर्मित की है। उसमें सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं और विद्वानों - विभिन्न दृष्टिकोण के लोग एकत्रित होते हैं। इनके बीच के इस तरह का संवाद विकेन्द्रीकरण को मजबूत बनाने हेतु नूतन प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों और विशेष रूप से जिला व तहसील स्तर पर चयनित महिलाओं के संगठन या महामंडल निर्मित करने में सभ्य समाज के संगठन प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर प्रभावी शासन निर्मित हो और निर्वाचित प्रतिनिधि सशक्त बनें। यथा - कर्नाटक में 'महिला सूचना व संसाधन केन्द्र', केरल में 'सखी', आंध्र प्रदेश में 'लोकसत्ता', तमिलनाडु में 'गांधी ग्राम इंस्टीट्यूट', राजस्थान में 'हंगर प्रोजेक्ट' - इस तरह के महामंडल बनें, इसके लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। बताया जाता है कि महिला प्रतिनिधि महामंडल मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं महत्त्वपूर्ण विभागों के सचिवों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करता है। इस तरह की बैठकें जिला स्तर पर आयोजित हों, इसके लिए भी सरकार ने एक आदेश जारी किया है।

गत वर्ष के दौरान विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया ने नूतन वेग पकड़ा है। सभ्य समाज के संगठनों और सरकार के बीच पंचायतों को मजबूत बनाने हेतु यह संवाद उभरा है। अनेक प्रोत्साहक नियम-नीतियां बनी हैं। यह समझने की जरूरत है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ने सत्ता के वितरण को पूर्णतया स्वीकार किया है। खास तौर से महिलाओं व दलितों के नेतृत्व के संदर्भ में यह सवाल महत्त्वपूर्ण है। सत्ता के हस्तांतरण की सफलता हेतु मात्र सरकार के नहीं, वरन् सामाजिक परिवर्तन और हेतु सभ्य समाज के संगठनों की भी आवश्यकता है और लोकतांत्रिक अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को सहेजने की भी जरूरत है। ■

सूचना अधिकार अधिनियम : सरल शब्दों में

संसद ने जून २००५ में सूचना अधिकार अधिनियम को पारित किया था। इस कानून का क्रियान्वयन अक्टूबर २००५ में शुरू हुआ। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक सूचना प्राप्ति का हक रखेगा तभी अन्य स्वतंत्रताएं भोग सकेगा, अतः भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में यह कानून एक नया अध्याय जोड़ता है। यहां इस कानून को प्रश्नोत्तर रूप में सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्न-१: यह अमल में कब आया?

यह १२-१०-२००५ को अमल में आया है। संसद ने इसे १५-६-०५ को पारित किया था। कई व्यवस्थाएं तत्काल अमल में आई हैं। जैसे सार्वजनिक अधिकारियों के कर्तव्य (कलम-४ (१), सार्वजनिक सूचना, अधिकारी और सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति (कलम-५ (१) और कलम-५ (२), केंद्रीय सूचना आयोग का गठन (कलम-१२ और कलम-१३), राज्य सूचना आयोग का गठन (कलम-१५ और कलम-१६) गुप्तचर और सुरक्षा संगठनों पर यह कानून लागू नहीं होगा (कलम-२४) और धाराओं की व्यवस्थाओं के अमल के लिए नियम बनाने का अधिकार (कलम-२७ व कलम २८)।

प्रश्न २: किन्हें शामिल किया गया है?

जम्मू व कश्मीर को छोड़ कर समग्र भारत को।

प्रश्न ३: सूचना अर्थात् क्या?

सूचना का अर्थ है किसी भी तरह की सामग्री। इसमें टिप्पणियों, दस्तावेजों, मेमो, ई-मेल, अभिप्रायों, सलाहों अखबारी निवेदनों, परिपत्रों, आदेशों, लोगबुक, समझौतों, प्रतिवेदनों, कागजातों, नमूनों, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रानिक रूप में संग्रहीत सूचनाओं और किसी भी निजी संस्था संबंधी जानकारी का समावेश है। सार्वजनिक सत्ताधिकारी जो जानकारी निजी संस्था से किसी भी कानून के अधीन प्राप्त कर सकते हो उस जानकारी का यहां समावेश है। इसमें फाइल पर दर्ज टिप्पणियों का समावेश नहीं है (कलम-२ (एफ)।

प्रश्न ४: सूचना के अधिकार का अर्थ क्या है?

इसमें निम्न बातों संबंधी अधिकार शामिल हैं :

१. काम, दस्तावेज और टिप्पणियों का निरीक्षण।
२. दस्तावेज या टिप्पणियों के लेखन, सारांश या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना।
३. सामग्री के प्रामाणिक नमूने प्राप्त करना।
४. प्रिंट-आउट, डिस्क, फ्लोपी, टेप, वीडियो, कैसेट या अन्य किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रानिक रूप से या प्रिंट आउट से सामग्री प्राप्त करना (कलम-२ (जे)।

प्रश्न ५: केंद्र तथा राज्य सरकारों की भूमिका क्या है?

१. लोगों के लिए और खास तौर से लाभ-वंचित समुदायों के लिए सूचनाधिकार के विषय में शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करना।
२. ऐसे कार्यक्रम विकसित करने व आयोजित करने हेतु इनमें भागीदारी के लिए सार्वजनिक सत्ताधीशों को प्रोत्साहन देना।
३. लोगों को यथासमय सही सूचनाएं दिलाने को प्रोत्साहन देना।
४. अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना।
५. संबंधित सत्तावार भाषा में लोगों हेतु ग्राहक मार्गदर्शिका तैयार करना और उसका प्रचार-प्रसार करना।
६. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पद, डाक का पता तथा सम्पर्क का विवरण आदि तथा निर्धारित फीस और यदि प्रार्थना स्वीकार न की जाए तो कानून के अधीन उपाय इत्यादि ब्यौरा प्रकाशित करना (कलम - २६)

प्रश्न ६: नियम बनाने के अधिकार किसके पास हैं?

कलम-२ (ई) में बताये मुताबिक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और सक्षम सत्ताधीशों के पास इस धारा की व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन

करने संबंधी नियम बनाने के अधिकार हैं (कलम-२७ और कलम-२८)।

प्रश्न-७: अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों के निवारण के अधिकार किसके पास हैं?

यदि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अमल में कोई मुसीबत खड़ी हो तो सत्तावार गजट में आदेश प्रकाशित करके मुसीबत के निवारण हेतु जरूरी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। (कलम-३०)

प्रश्न ८: केन्द्रीय सूचना आयोग किस तरह बनता है?

१. केन्द्र सरकार केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। इसके लिए गजट में घोषणा प्रकाशित करेगी।
२. इस आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और १० तक सूचना आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।
३. प्रथम अनुसूचि में बताये अनुसार राष्ट्रपति उनको पद ग्रहण की शपथ दिलायेंगे।
४. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में रहेगा। केन्द्र सरकार की स्वीकृति से देश के अलग-अलग भागों में कार्यालय स्थापित होंगे।
५. किसी भी सत्तामंडल के आदेशों की अधीनता के बगैर आयोग अपने अधिकारों का उपयोग करेगा (कलम-१२)।

प्रश्न ९: आयोग में नियुक्ति हेतु पात्रता का मानदंड और उसकी कार्यवाही क्या है?

१. सार्वजनिक जीवन में वे अग्रणी व्यक्ति होने चाहिए। कानून, विज्ञान और टैक्नोलोजी, सामाजिक सेवा, संचालन, पत्रकारिता, जन-माध्यमों या प्रशासन और शासन के क्षेत्र में उनका ज्ञान व अनुभव व्यापक होना चाहिए।
२. वे किसी विधानसभा या संसद के सदस्य न हों। वे कोई लाभ का पद धारण न करते हों और किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध न हों या कोई धंधा या व्यवसाय न करते हों।
३. नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय मंत्री रहेगा।

प्रश्न १०: मुख्य सूचना आयुक्त के पद की अवधि और सेवा की अन्य शर्तें क्या हैं?

१. मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए होगी। कार्यभार संभालने की तिथि से अवधि गिनी जाएगी अथवा ६५ वर्ष की वय होने तक वे उस पद पर रहेंगे।
२. मुख्य सूचना आयुक्त की फिर से नियुक्ति नहीं होगी।
३. उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के जितना ही वेतन मिलेगा। सेवा अवधि के दौरान उसमें फेरफार नहीं किया जा सकेगा (कलम-१३)।

प्रश्न ११: सूचना आयुक्तों के पदों की अवधि और सेवा की अन्य शर्तें क्या हैं?

१. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। पद भार संभालने से अवधि गिनी जाएगी। अथवा वे ६५ वर्ष की वय तक उस पद पर रहेंगे। उनकी पुनः नियुक्ति नहीं होगी।
२. चुनाव आयुक्त के जितना ही वेतन उन्हें मिलेगा। सेवा अवधि के दौरान उसमें फेरफार नहीं होगा।
३. सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। परंतु उनकी सूचना आयुक्त के रूप में अवधि सहित कुल पांच वर्ष की अवधि तक ही वे पद पर रहेंगे (कलम-१३)।

प्रश्न १२: राज्य सूचना आयोग का गठन कैसे होगा?

१. राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। इसके लिए गजट में विज्ञापन प्रकाशित करेगी। इस सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और १० तक सूचना आयुक्त होंगे। उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे।
२. प्रथम अनुसूचि में बताये मुताबिक राज्यपाल उन्हें पद की शपथ दिलायेंगे।
३. राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य सरकार जो तय करेगी, वही स्थान होगा। राज्य सरकार की स्वीकृति से राज्य के अलग-अलग भागों में अन्य कार्यालय होंगे।

प्रश्न १३: आयोग में नियुक्ति हेतु पात्रता के मानदंड और उसकी कार्यवाही क्या होगी?

१. नियुक्ति समिति में मुख्य मंत्री अध्यक्ष होंगे। अन्य राज्यों में विधान सभाओं के विपक्षी नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त केन्द्रीय मंत्री शामिल होंगे।
२. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की पात्रता

केन्द्रीय आयुक्तों के जैसी ही रहेगी।

३. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्त के जितना रहेगा और अन्य आयुक्तों का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव जितना रहेगा (कलम-१५)।

प्रश्न १४: सूचना आयोगों के अधिकार व कार्य क्या हैं?

१. केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोग का दायित्व निम्नलिखित किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना है :

(क) सार्वजनिक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, अतः जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना नहीं कर सका।

(ख) जिस सूचना को पाने हेतु विनती की गई उसे देने से इनकार किया गया हो।

(ग) निश्चित समय मर्यादा में जिसे अपनी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला हो।

(घ) जिसे ऐसा लगे कि ली गई फीस अनुचित है।

(च) इस कानून के अधीन सूचना प्राप्त करने संबंधी अन्य बातें।

२. उचित कारण लगे तो जांच का आदेश देने का अधिकार।

३. दीवानी अदालत जैसी सत्ता केन्द्रीय व राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की रहेगी, जैसे -

(क) व्यक्तियों को बुलवाना और उन्हें अनिवार्यतया हाजिर रखना, उन्हें सौगंध के साथ लिखित सबूत देने का कर्तव्य सौंपना तथा दस्तावेज या वस्तुएं प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपना।

(ख) दस्तावेजों को खोजना व जांचना।

(ग) शपथपत्र के साथ सबूत प्राप्त करना।

(घ) किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज या प्रतियां मंगाना।

(च) दस्तावेजों और साक्षियों की जांच के लिए सम्मन जारी करना।

(छ) अन्य कोई भी विषय।

४. इस कानून के द्वारा जो दस्तावेज शामिल किये गए हैं, वे तमाम दस्तावेज केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोग को छानबीन के दौरान जांचने हेतु सुपुर्द करने होंगे।

५. सार्वजनिक सत्ताधिकारियों के पास अपने आदेशों का पालन करवाने के अधिकारों में निम्न बातें समाविष्ट हैं :

(१) किसी निश्चित स्वरूप में सूचना उपलब्ध करना।

(२) जहां सार्वजनिक सूचना अधिकारी या सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी न हो, वहां उनकी नियुक्ति करने के आदेश देना।

(३) सूचना या विविध श्रेणी में सूचना का प्रकाशन।

(४) दस्तावेजों के संचालन, निर्वहन और विनाश संबंधी रीति-नीति में जरूरी परिवर्तन करना।

(५) सूचना के अधिकार के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

(६) इस कानून का पालन हो, तब सार्वजनिक सत्ताधिकारी से वार्षिक रिपोर्ट मांगना।

(७) प्रार्थी को कोई हानि या नुकसान हुआ हो तो उसके लिए मुआवजा मांगना।

(८) इस कानून के अधीन दंड देना।

(९) प्रार्थना अस्वीकार करना (कलम-१८ और कलम-१९)।

प्रश्न १५: प्रतिवेदन की कार्यपद्धति क्या है?

१. वर्ष के अंत में इस कानून की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के बाबत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्र सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेगा। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगा।

२. प्रत्येक मंत्रालय का कर्तव्य है कि वह अपने सार्वजनिक अधिकारियों से प्रतिवेदन मंगायें और राज्य सूचना आयोग या केन्द्रीय सूचना आयोग को सुपुर्द करें।

३. प्रत्येक प्रतिवेदन में निम्न विवरण होंगे :

(१) प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या।

(२) अस्वीकृत की गई अर्जियों की संख्या।

(३) अनुशासन भंग के कदम उठाये गए हों तो उनके ब्यौरे।

(४) ली गई फीस की राशि आदि।

४. प्रत्येक वर्ष के अंत में केन्द्र सरकार केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग का प्रतिवेदन राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी (कलम २५)।

प्रश्न १६: सूचनाओं हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कार्यपद्धति क्या है?

१. अंग्रेजी, हिंदी या राज भाषा में लिखित अर्जी देना या इलेक्ट्रानिक पद्धति से अर्जी देना। यह अर्जी सार्वजनिक अधिकारी से

करना। इसमें जो सूचना मांगी गई है वह दर्शाना।
२. सूचना मांगने के कारण बताने जरूरी नहीं हैं।
३. गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले न हों तो निर्धारित फीस चुकायें।

प्रश्न १७: सूचना प्राप्त करने की समय-सीमा क्या रहेगी?

१. अर्जी की तारीख से २० दिन।
२. व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता संबंधी सूचना हेतु ४८ घंटे।
३. यह अर्जी सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी को दी गई हो तो उपर्युक्त समय-सीमा में ५ दिन बढ़ाना।
४. यदि किसी तीसरे पक्ष के हित जुड़े हुए हों तो समय सीमा ४० दिन रहेगी (अधिकतम समय सीमा संबंधित पक्ष को प्रस्तुत करने हेतु दिया गया समय)।
५. निश्चित समय में सूचना न दी जाए तो यह माना जाए कि सूचना देने से इनकार किया गया है।

प्रश्न १८: फीस कितनी होगी?

१. अर्जी के लिए उचित फीस तय की जाए।
२. यदि अधिक फीस की जरूरत पड़े तो किस तरह निर्धारित की गई इसकी लिखित रूप में गणना बतानी होगी।
३. सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने फीस तय की हो तो उसकी समीक्षा हेतु प्रार्थी अपील अधिकारी से अनुरोध कर सकता है।
४. गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों से फीस न ली जाए।
५. यदि सार्वजनिक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सूचना न दे तो प्रार्थी को बिना मूल्य सूचना प्रदान की जाए।

प्रश्न १९: अर्जी के इनकार के कारण क्या हो सकते हैं?

१. यदि ऐसी सूचना मांगी गई हो जिसे जाहिर करने से मुक्त रखा गया हो।
२. राज्य के अलावा व्यक्ति के कॉपीराइट का जिसमें भंग होता हो।

प्रश्न २०: कौनसी सूचना जाहिर नहीं होगी?

निम्न प्रकार की सूचना को जाहिर करने से मुक्त रखा गया है :

१. ऐसी सूचनाएं जो भारत की अखंडता और सार्वभौमिकता पर पूर्वाग्रहपूर्वक प्रभाव डाले, राज्य की सुरक्षा, व्यूहात्मक, आर्थिक और वैज्ञानिक हितों पर प्रभाव डाले, राज्य के विदेशों के साथ संबंध को प्रभावित करे अथवा अपराध के लिए प्रेरित करे।
२. किसी अदालत या ट्रिब्युनल द्वारा जो सूचना प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाया गया हो अथवा जिस सूचना को जाहिर करने से अदालत का अपमान समझा जाता हो।
३. जिस सूचना को प्रकट करने से संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता हो।
४. वाणिज्यपरक निजी विषयों, व्यापार की गुप्त बातों या बौद्धिक सम्पदा सहित सामग्री, जिसको प्रकट करने से तीसरे पक्ष की स्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुँचे - सिवा इसके कि सक्षम अधिकारी को यह लगे कि इस सूचना का प्रकट होना सार्वजनिक हित में है।
५. व्यक्ति को ट्रस्टी के रूप में उसके संबंध के नाते जो सूचना मिलती है वह, सिवाय इसके कि सक्षम अधिकारी को यह लगे की यह सूचना प्रकट करना सार्वजनिक हित में है।
६. विदेशी सरकार से प्राप्त निजी सूचनाएं।
७. किसी भी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को जोखिम में डालने जैसी सामग्री का विज्ञापन अथवा कानून के क्रियान्वयन या सुरक्षा के प्रयोजनों हेतु प्रदत सहायता या सूचना के स्रोतों की पहचान।
८. ऐसी सामग्री जो अपराधियों की छानबीन, संशय या शिकायत की कार्यवाही में अवरोध डाले।
९. मंत्रिमंडल, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की चर्चा के उल्लेख समेत मंत्रिमंडल के कागजात।
१०. ऐसी सूचना कि जो व्यक्तिगत सूचना हो और जिसका विज्ञापन किसी सार्वजनिक प्रवृत्ति के हित में साथ संबंध न हो, या जिससे किसी व्यक्ति के निजी मामलों में गैर जरूरी आक्रमण होता हो।
११. ऊपर बतायी गई किसी भी मुक्ति के बावजूद, सार्वजनिक अधिकारियों को ऐसा लगे कि रक्षित हित की हानि के बजाय सार्वजनिक हित का लाभ अधिक है तो वे सूचना प्राप्त करने हेतु अनुमति दे सकते हैं।

प्रश्न २१: क्या सूचना का आंशिक विज्ञापन हो सकता है?

ऐसी कोई सूचना कि जिसे विज्ञापित करने से मुक्ति ही गई है यदि वह दस्तावेज का भाग हो तो और मुक्ति प्रदत्त सूचना से कोई भाग

वाजिब रीति से मुक्त हो तो वह दी जा सकती है (कलम १०)।

प्रश्न २२: किसे बाहर रखा गया है?

दूसरी अनुसूची में बताई गई केन्द्रीय गुप्तचर और सुरक्षा संस्थाएं। इनमें आईबी, रॉ, डाइरेक्टर ऑफ रेवेन्यु इंटेलिजेंस, केन्द्रीय आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो, डाइरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेन्ट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, खास शाखा (सीआईडी) - अंडमान और निकोबार, अपराध शोधक शाखा -सीआईडी-सीबी-दादरा और नगर हवेली, एवियेशन रिसर्च सेन्टर, स्पेशियल फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, आसाम राइफल्स, स्पेशियल सर्विस ब्यूरो और लक्षद्वीप पुलिस की विशेष शाखा का समावेश है। राज्य सरकारों ने विज्ञापन द्वारा जिन संस्थाओं को बाहर किया है वे भी बाहर रहेंगी। हालांकि यह बादबाकी सम्पूर्ण नहीं है और ये संगठन भी भ्रष्टाचार व मानवाधिकार हनन के आक्षेपों संबधी सूचनाएं देने हेतु दायित्वबद्ध हैं। फिर, मानवाधाकिर भंग के आक्षेपों संबंधी सूचनाएं दे सकते हैं। पर इसके लिए दो में से एक सूचना आयोग की स्वीकृति जरूरी है।

प्रश्न २३: सार्वजनिक अधिकारी के कर्तव्य क्या-क्या हैं?

कानून बनने के १२० दिनों में वह यह सूचना प्रकाशित करेगा :

१. उसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।
२. उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य।
३. उसकी निर्णय प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति। उसमें निरीक्षण व उत्तरदायित्व के मार्गों का समावेश होता है।
४. उसमें कार्य निष्पादन हेतु उसके द्वारा तय किये गए चरण।
५. उसके कार्य करने के लिए उसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले नियम, नियमन, सूचनाएं, मैन्युअल और दस्तावेज।
६. उसके द्वारा रखे गए या उसके अंकुश के अधीन विविध प्रकार के दस्तावेजों का निवेदन।
७. लोगों के साथ नीति गढने या उसके अमल हेतु विचार-विमर्श करने या उनकी शिकायतों के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए जो व्यवस्था अस्तित्व में हो, उसका विवरण।
८. उसके द्वारा गठित दो या उससे अधिक व्यक्तियों की बनी समिति, परिषद, बोर्ड या अन्य संस्थाओं के विषय में निवेदन। साथ हो इन संस्थाओं की बैठकें लोगों के लिए खुली है या नहीं, अथवा उनकी बैठकों की कार्यवाही का विवरण लोगों को मिले या नहीं, इस बारे में जानकारी।
९. उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डाइरेक्टरी।
१०. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला मासिक वेतन। उसमें नियम के अनुसार मुआवजा चुकाने की पद्धति।
११. उसकी प्रत्येक संस्था द्वारा आवंटित बजट, तमाम योजनाएं, प्रस्तावित खर्च और आवंटन की प्रतिवेदन हो।
१२. सब्सिडी के कार्यक्रम के अमल की रीति। उसमें आवंटित राशि, कार्यक्रम का ब्यौरा और लाभार्थियों का समावेश हो।
१३. उसके द्वारा प्रदत्त राहतें, परमिट और अधिकार प्राप्ति का विवरण।
१४. उसे प्राप्य अथवा उसके पास की सूचना या जो इलेक्ट्रोनिक रूप में हो। सार्वजनिक उपयोग हेतु यदि पुस्तकालय या वाचनालय हो तो उसके काम के घंटों का समावेश भी हो।
१५. सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम, पद व अन्य विवरण (कलम-४ (१) (बी)।

प्रश्न २४: सार्वजनिक सत्ताधिकारी अर्थात् कौन?

इसका अर्थ है स्व-सरकार की किसी भी संस्था या सत्तामंडल या जिसकी स्थापना हुई हो, या गठन निम्न रीति से किया गया हो (कलम-२ (एच)

१. संविधान द्वारा या उसके अधीन।
२. संसद या किसी कानून द्वारा।
३. राज्य की विधान सभा या किसी कानून द्वारा।
४. उपयुक्त सरकार द्वारा तय कराये गए विज्ञापन या आदेश द्वारा उसमें निम्न प्रकार की किसी भी संस्था का समावेश हो:

(१) मालकी की, अंकुश के अधीन और अच्छी-खासी राशि वाली संस्था।
(२) उपयुक्त सरकार द्वारा सीधे या परोक्ष रीति से अच्छा-खासा पैसा रखने वाला गैर-सरकारी संगठन।

प्रश्न २५: सार्वजनिक सूचना अधिकारी कौन है?

सार्वजनिक सूचना अधिकारी वे अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति

सार्वजनिक सूचना सत्ताधिकारी करते हैं। वे तमाम प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में रहते हैं। इस कानून के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु गिनती करने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने का काम वे करते हैं। अपने कर्तव्य योग्य रीति से अदा करने हेतु सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी की मदद मांगी जाए तो वे तमाम सहायता प्रदान करेंगे और इस कानून की व्यवस्थाओं के उल्लंघन के सबब इस अधिकारी को सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) ही समझा जाएगा।

प्रश्न २६: सार्वजनिक सूचना अधिकारी के कर्तव्य क्या क्या हैं?

१. वे सूचना मांगने वाले व्यक्ति की अर्जी हाथ में लेंगे। जहां लिखित रूप में प्रार्थना पत्र न दिया गया हो वहां वे व्यक्ति को लिखित अर्जी के लिए सहायता देंगे।

२. यदि मांगी गई सूचना दूसरे किसी सार्वजनिक सत्ताधाकिरी के पास हो अथवा उसके काम के साथ वह प्रगाढ़ रूप से सम्बद्ध हो तो वे पांच दिन में वे उस अर्जी को उस सार्वजनिक सत्ताधिकारी को भेज देंगे और प्रार्थी को तत्काल सूचित कर देंगे।

३. अपना कर्तव्य योग्य रीति से अदा करने के लिए वे अन्य किसी भी अधिकारी की मदद मांग सकेंगे।

४. सूचना प्राप्ति का अनुरोध मिलने के बाद वे यथासंभव द्रुत अथवा ज्यादा से ज्यादा ३० दिन में निर्धारित फीस लेकर सूचना उपलब्ध करायेंगे अथवा अनुरोध अस्वीकार कर देंगे।

५. किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता संबंधी विषय पर सूचना मांगी जाएगी तो ४८ घंटों में वह सूचना प्रदान की जाएगी।

६. यदि वे निश्चित समय में सूचना प्रदान करने संबंधी निर्णय न लें तो यही समझा जाएगा कि उन्होंने अर्जी अस्वीकार कर ली है।

७. अनुरोध अस्वीकार कर देने की दशा में वे सूचना मांगने वाले को इतनी बातें बतायेंगे: (१) अर्जी को इनकार करने का कारण (२) इनकार के विरुद्ध कितनी समयावधि में अपील की जाए (३) अपील सत्ताधिकारी का ब्यौरा।

८. सार्वजनिक सत्ताधिकारी के संसाधनों को अप्रामाणिक रीति से व्यवहार में न लिया जाए और दस्तावेजों की सुरक्षा को हानि न पहुंचे, इसे ध्यान में रखते हुए सूचना अधिकारी, जिस रूप में सूचना मांगी गई है उस रूप में प्रदान करेंगे।

९. यदि आंशिक रूप में सूचना प्रदान की जाए तो सार्वजनिक सूचना अधिकारी प्रार्थी को निम्न की सूचना देते हुए नोटिस देगा :

(क) दस्तावेजों के जिस भाग की मांग की गई है, वही उपलब्ध कराया जा रहा है। जाहिर करने से जिसे मुक्ति दी गई है वह भाग अलग किया गया है।

(ख) हकीकत के किसी सामग्री लक्ष्यी प्रश्न संबंधी निष्कर्ष सहित निर्णय के कारण इस सामग्री के साथ बताना जिन पर निष्कर्ष आधारित हों।

(ग) निर्णय प्रदाता व्यक्ति का नाम और पद।

(घ) उसके द्वारा तय की गई फीस और प्रार्थी द्वारा देय फीस।

(च) जिस सूचना को जाहिर न करना हो उससे संबंधित निर्णय की समीक्षा करने का उसका अधिकार, ली जाने वाली फीस और सूचना प्राप्ति का स्वरूप।

१०. तीसरे पक्ष से सूचना मांगी जाए अथवा तीसरा पक्ष उस सूचना को गुप्त बताये तो सार्वजनिक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष को ५ दिनों में नोटिस देगा।

११. ऐसी नोटिस मिलने के १० दिनों का समय तीसरे पक्ष को पेशी के लिए देना। ■

पृष्ठ 21 का शेष भाग

अतः वह संदेश उन तक पहुंच जाता है। ग्रेम फूरी ने कर्मशीलों के समूह के साथ सहयोग स्थापित किया है और एड्स के साथ जुड़े सामाजिक कलंक के संबंध में लोगों में जागृति लाने के लिए बिलबोर्ड तैयार किये हैं।'

पाथेजा कहती हैं कि भविष्य में 'ब्लेंक नॉइज़' अन्य कई समूहों के साथ काम करेगा, ऐसे लोगों के साथ भी काम करेगा, जिनके पास सार्वजनिक अधिकृत जमीन है। वह कहती है कि 'यहां इरादा मात्र रोषपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने का नहीं, परंतु विविध पहलुओं से समस्या का सामना करने का है। पीड़ित कौन है? कौन दर्शक है? और कौन अपराधी है?

' स्रोतः द क्वेस्ट फीचर्स एंड फुटेज, कोची, सम्पर्कः http://www.blogger.com/profile/6564836 ■

ब्लेंक नॉइज़ : वस्त्र बनते हैं सताने के साक्षी

लड़कियों के साथ सरेआम होने वाली छेड़छाड़ और फब्तियों को लेकर अभियान शुरू करने वाली एक उदीयमान कलाकार की यह कहानी है। एक कलाकार सामाजिक सरोकार संबंधी विषय पर जिस तरह का आंदोलन उठाती है, उसके बारे में इस लेख में बताया गया है। दुनिया भर में मसखरी और छेड़छाड़ का शिकार बनी लड़कियों के उस अवसर पर पहने हुए वस्त्र इकट्ठे करने का अभियान इस महिला कलाकार ने क्यों शुरू किया है, इसका आलेखन इस लेख में हुआ है।

प्रस्तावना

बेंगलूर की सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन टैक्नोलोजी की फाइन आर्ट्स की स्नातक सुश्री जैस्मिन पाथेजा अपनी एक परियोजना के लिए देश भर से पुराने वस्त्र इकट्ठे कर रही हैं। ये अन्य वस्त्रों जैसे नहीं हैं। ये वे वस्त्र हैं जो सताने की कहानी अपने साथ लेकर चलते हैं।

पाथेजा की इस सहभागी परियोजना का नाम है 'ब्लेंक नॉइज़।' यह परियोजना रास्ते में खुले आम होने वाले यौन शोषण या छेड़छाड़ की समस्या से संबंधित है। वह बताती हैं कि, 'जब मैं अपने अध्ययन के अंतिम वर्ष में थी तब यह काम एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। यह प्रोजेक्ट रास्ते में होने वाले यौन शोषण की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ।

कैफियत के रूप में वस्त्र

इस प्रोजेक्ट का अंतिम चरण 'क्या तुम यह चाहती हो' है। इसके लिए पाथेजा लोगों से वे कपड़े भेजने को कहती हैं जो उन्होंने रास्ते में छेड़छाड़ या उस खतरे के समय पहने हुए थे। 'सामान्यतया लोग यह मानते हैं कि स्त्रियां जो वस्त्र पहनती हैं उन्हें लेकर ही यह कहा जाता है कि वे स्वयं ही यह इच्छा रखती है। परंतु मैं छेड़छाड़ को वाजिब ठहराने वाले इस कारण का सामना करना चाहती हूं।

"वस्त्र कैफियत के सबूत का स्वरूप धारण करेंगे कि जो इन घटनाओं के साक्षी रहे हैं। जब दुनिया के अलग-अलग भागों के वस्त्र एक साथ रखे जाएंगे तब यह सवाल फिर से एक बार पूछा जाएगा। यह एक सतत चलने वाला प्रोजेक्ट है और मैं अब भी वस्त्रों की इंतजार कर रही हूं' वे कहती हैं।

जैसे-जैसे लड़की बड़ी होती है, वैसे-वैसे दुनिया को उसकी पहचान उत्तम रीति से नहीं वरन् जंगली रीति से होती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि पिछले वर्ष गर्मियों में पहने फ्रॉक छोटे हो गए, इसका यह अर्थ नहीं कि वह बड़ी हो गई, वरन् भीड़भाड़ वाली बस में जब उसे एकटक नजरें गड़ाये देखा जाता है तब पता लगता है कि वह बड़ी हो गई है। यह एक ऐसी कच्ची उम्र होती है कि जब काम वासना क्या होती है, इसका उसे पता नहीं होता, अथवा उसकी समझ में यह भी नहीं आता कि जब वह चलती है तब विकृत दिमाग वाला आदमी क्या देखता है और उसको उसमें क्या आनंद आता है। शायद दुनिया में किसी स्त्री को इसका पता नहीं पड़ता।

खुले आम सड़क पर यौन शोषण होता है। साधारणतया इसे छेड़छाड़ माना जाता है। जैस्मिन पाथेजा इसका जोरदार मुकाबला करना चाहती है। जब पाथेजा १९ वर्ष की थी तब कोलकाता से बेंगलूर आई थी। 'जब-जब मैं घर से बाहर निकलती, तब-तब मुझे यौन-त्रास का खतरा लगता है। इस तरह मेरे निजी प्रसंग में इस आक्रमण को 'छेड़छाड़' (ईव टीजिंग) माना जाता है, जब ऐसा जाना तो मेरी समझ में आया कि यह एक ऐसा अपराध है जिसे बहुधा बहुत ही क्षुद्र समझा जाता है। नये शहर में आने की वजह से मैं बहुत असहाय महसूस करती थी, क्योंकि वापिस भाग जाने के लिए कोई 'घर' नहीं था।' - इस तरह वे घटनाओं को याद करती हुई कहती हैं।

अधिक बदतर स्थिति तो यह थी कि रास्ते में भटकते रोमियो द्वारा जो यौन-त्रास होता वह उसके लिए तो भी वक्त गुजारने का शगल था, पर उसे लेकर पाथेजा को अपनी सहेलियों से जो प्रतिक्रिया

मिली वह तो और बुरी थी। 'हां, यह तो रोजाना की बात है' अथवा 'जाने भी दो' ऐसी ही उनकी प्रतिक्रिया थी। और उससे भी ज्यादा आघातजनक बात थी ऐसे प्रसंग से ही इन्कार था - 'तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?'

प्रतिक्रियाएं

बावजूद इसके, यह समझ में आया कि यह अकेले उसी की समस्या नहीं है और पाथेजा ने 'सृष्टि' की लगभग ६० लड़कियों को 'सार्वजनिक स्थल' (पब्लिक स्पेस) का एक नक्शा खींचने को कहा। 'मात्र तीन मिनट में 'सोचती हूं', 'डर लगता है', 'असहाय हूं', 'नहीं हो सकता' और 'शरीर ठीक नहीं लगता' जैसे शब्द सुनने को मिले। तब मैने इस प्रोजेक्ट की अर्जी दी'- उसने कहा। जब समूह की २४ लड़कियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तब दूसरों को यह मुद्दा कोई महत्त्वपूर्ण नहीं लगा। 'क्या अधिकांश परिस्थिति में एक तरह से नजरें गड़ाकर देखा जाता है? पर कब वे आक्रामक और अपराधी बनते हैं? कब वे स्वीकृत नहीं होते? यह रेखा कौन खींचता है? क्या तुम ऐसी धारणा बना लेती हो, अर्थात क्या तुम स्वीकार कर लेती हो? - पाथेजा ने ऐसे तमाम प्रश्न पूछे।

प्रोजेक्ट का आरंभिक चरण

'ब्लेंक नॉइज़' प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में प्रभाव की छानबीन की गई। पाथेजा ने अनेक कार्यशालाएं आयोजित कीं और नयी स्त्रियों की गुप्त और खुली तौर पर जांच की। पाथेजा बताती है कि 'इस सामूहिक सहभागी अनुभव के बाद वीडियो, साउंड व फोटो सहित अन्य वस्तुएं जुटाई गई। इनके द्वारा मैने प्रभावित होने वाली को, अपराधी को तथा मूक प्रेक्षक को पकड़ने का प्रयत्न किया।'

'सृष्टि' से स्नातक होने के बाद पाथेजा ने यह प्रोजेक्ट दूसरे स्तर पर ले जाना तय किया। वह चरण वास्तव में सार्वजनिक संघर्ष का और जन-जागृति का था। साधारण तौर पर छेड़छाड़ के प्रश्न को समाज महत्त्वपूर्ण नहीं मानता। 'सराई' की ग्रांट और 'सृष्टि' के सहयोग से मैंने 'ब्लेंक नॉइज़' को सहभागी प्रोजेक्ट के रूप में सोचा। यह एक पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जिसमें मैं इस समस्या को गलियों में ले जा सकती हूं और अधिकाधिक सहभागियों को जोड़ सकती हूं' - पाथेजा ने यों कहा।

अभी इस प्रोजेक्ट में कॉलेजों के विद्यार्थी, थियेटर ग्रुप के सदस्य और सामान्य लोगों समेत विविध प्रकार के लोग शामिल हुए है। वे कहते हैं कि 'हम अभी मूलतः मंचीय कला द्वारा सार्वजनिक दस्तंदाजी कर रहे हैं। इस स्तर पर हम इंडियन पीनल कोड की धारा-३५४ की व्यवस्था सहित कानूनी व्यवस्थाओं पर एतराज उठा रहे हैं। स्त्री की 'विनम्रता' के विरुद्ध ही वह अपनी कुढ़न व्यक्त करता है।

टैक्नोलोजी का उपयोग

पाथेजा टैक्नोलोजी का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रही है। दूसरा एक प्रयोग भी चल रहा है, इसमें अपराधी को कैमरे में कैद कर लिया जाता है और फिर एक साथ फोटो सार्वजनिक ब्लोग पर लगा दिये जाते हैं। अतएव दुनिया भर के अनेक लोग एकत्र हुए हैं और उन्होंने अपने-अपने नगरों में यह प्रोजेक्ट हाथ में लेने का अनुरोध किया है। यह कर्मनिष्ठता पाथेजा में तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया के रूप में आई है, परंतु वह स्वयं को कर्मशील के रूप में सुपरिचित कराना नहीं चाहती। उसे सार्वजनिक कलाकार या नारीवादी कहलाना भी पसंद नहीं है। वह कहती है कि 'मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार हूं और व्यक्ति को यह तमाम भूमिका निभानी पड़ती है। मैं यह बात जोर देकर कहती हूं कि इनमें से एक भी भूमिका नितांत अलग रह कर अदा नहीं की जा सकती। अनेक प्रकार के कलाकार हैं और हम में से हरेक को कुछ कहना है, व्यक्त करना है। जिस जगह और जिस रूप में यह बात होती है, वह अपना प्रभाव छोड़ती है।

कला और सामाजिक परिवर्तन

'सामाजिक परिवर्तन हेतु संचार' की विद्यार्थिनी जैसी पाथेजा बलपूर्वक कहती है कि कला सामाजिक परिवर्तन में वाकई महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वह कहती है कि 'गरिला गर्ल्स, पेगी डिज और ग्रेम फूरी जैसे कलाकार अपनी कला द्वारा सामाजिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने में सफल रहे हैं। बिलबोर्ड, पोस्टर, दूध के डिब्बे, जहां उपयुक्त हो वहां अपनी कला दिखाई है। पेगी डिज घरेलू हिंसा के विषय में चिंतित है। उसने दूध के डिब्बों पर अपने संदेश छपाये है। कारण यह कि सभी स्त्रियां परिवार के लिए दूध खरीदती हैं,

शेष पृष्ठ 19 पर

स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु रोकने का गुजरात का अनुभव

'अवाज' (अहमदाबाद वीमेन्स एक्शन ग्रुप) १९८३ से गुजरात में स्त्रियों पर होने वाली हिंसा के मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्यरत है। हिंसा के विविध पक्षों का अध्ययन किया गया है और इन निष्कर्षों के आधार पर कदम उठाये गए हैं। लगभग २० वर्षों की दस्तंदाजी का अनुभव **सुश्री इला पाठक** के द्वारा यहां प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की कलम-४९८ के उपयोग से स्त्रियों को अप्राकृतिक मृत्यु रोकने में जो सफलता मिली है उसे यहां देखा जा सकता है।

प्रस्तावना

'अवाज' स्त्रियों पर होने वाली हिंसा की समस्या को लेकर १९८४ से सक्रिय रहने वाला 'संगठन' है। अध्ययन, विरोध सभाएं, नुक्कड़ नाटक, जुलूस, रैली, जागरूकता हेतु कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, पुलिस व अन्य सरकारी अधिकारियों को सक्रिय बनाने संबंधी कार्यशालाओं आदि का उपयोग गुजरात में युवा महिलाओं में अप्राकृतिक मृत्यु की बढ़ती तादाद घटाने के लिए किया जाता है।

जनवरी से दिसंबर २००४ के पुलिस आंकड़ों के अनुसार यह देखने में आता है कि स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु की संख्या १९९९ से घट रही है और २००४ में भी ऐसा ही हुआ है। १९९८ में अप्राकृतिक मृत्यु से मरने वाली स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक एक वर्ष में ६३४९ अर्थात दैनिक औसत १७.३९ रही है। अप्राकृतिक मृत्यु में हत्या, दहेज, आत्महत्या, दुर्घटना आदि शामिल होते हैं।

१९८४ से 'अवाज' स्त्रियों में जागरूकता बढ़ा रही है कि उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। स्त्रियां मोटे तौर पर यह समझकर आत्महत्या करती हैं कि उन्हें मदद देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में इस संगठन ने उन्हें सहायता देने का काम सोचा था। कानून और नीति का उपयोग किस तरह किया जाए, यह भी उन्हें बताया जाता है। १९९५ से १९९९ के बीच गुजरात में ५२ परिवार परामर्श केन्द्र और ९६ कानूनी सहायता केन्द्र के सलाहकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्त्रियों का जीवन बचाने हेतु प्राथमिकता देने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें ऐसा बताया गया है कि यदि वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहें तो उन्हें मदद दी जाए।

१९९८ से २००० के बीच 'अवाज' द्वारा गुजरात के पुलिस दल को संवेदनशील बनाया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे घरेलू हिंसा संबंधी स्त्रियों की शिकायतें दर्ज करें। पुलिस दस्तावेज बताते हैं कि १९९९ से शिकायतों को दर्ज कराना बढ़ा है और स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु की संख्या में कमी आई है।

'अवाज' द्वारा पुलिस एकेडेमी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल द्वारा पुलिस को संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम चलाया गया है। २००४ में 'अवाज' द्वारा पुलिस के लिए दो भागों में एक हैंडबुक प्रकाशित की गई है। इस 'पुलिस पोथी' के एक भाग में यह बताया गया है कि पुलिस किस तरह स्त्रियों की शिकायतें दर्ज करने में मदद दे सकती है। इस एक कदम से ही स्त्री को बचने में मदद मिलती है और वह परिवार में हिंसा की जंजीर को तोड़ती है। पिता माताओं को मारना बंद कर देते हैं तो बालकों में वे संस्कार नहीं पड़ते। पोथी के दूसरे भाग में मानवाधिकारों की घोषणा, संवैधानिक अधिकार और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई कलमों का भाषांतर किया गया है।

'अवाज' इसे एक और चुनौती मानती है। यह वाकई आनंददायी है कि हमारी व्यूह रचनाएं काम कर गई हैं। इसके बावजूद आज भी अनुमानतः रोजाना १२ स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु होती है और प्रति वर्ष ४५०० से अधिक अप्राकृतिक मौतें होती हैं। गुजरात स्त्रियों के लिए जंगली होना भूल जाए तब तक 'आवाज' द्वारा और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

अध्ययन

यहां समु बहन की जो वास्तविक कहानी दी गई है जिसे एक

सभा में उसने स्वयं कहा था। उस सभा में घरेलू हिंसा और आकस्मिक मृत्यु के बारे में चर्चा हुई थी। यहां दी गई दो घटनाएं दर्शाती है कि स्त्रियां आत्महत्या क्यों करती हैं अथवा क्यों स्त्री अपनी अप्राकृतिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम नहीं लेती।

यह स्पष्ट है कि मां-बाप विवाह के बाद बेटी को मदद देना नहीं चाहते। जिस स्त्री का जीवन ससुराल में असहनीय बन जाता है, वह स्त्री इस कारण जीने की इच्छा त्याग देती है और वह मृत्यु की शरण में चली जाती है। स्त्रियां अपने साथ सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताओं का बोझ उठाती है जो उन्हें अपने परिवारों, पड़ोसियों मित्रों आदि से प्राप्त होती हैं। घर में पति को भगवान समझा जाता है और अच्छी पत्नी उसको फंसाने के लिए कुछ नहीं कहती। अत: मृत्यु के समय की परिस्थिति के विवरण को देखें तो पता चलता है कि पीड़ित होने वाली स्त्री के सहित प्रत्येक स्त्री चुप हो जाती है। परंतु ऐसी मौत के कारण स्पष्ट होते हैं। एक कारण तो यही है कि ससुराल में स्त्री जी नहीं पाती और दूसरा कारण यह होता है कि पीहर से उसे कोई सहयोग-समर्थन नहीं मिल पाता।

जब स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो पुलिस उसे दुर्घटना मृत्यु के रूप में ही दर्ज करती है। हमने ऐसी आकस्मिक मृत्यु का विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया है। यह अध्ययन मुख्य रूप से यह देखने के लिए किया गया है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित स्त्रियों पर भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड - आईपीसी) की कलम ४९८ का क्या प्रभाव होता है।

हमारा अध्ययन शुरू हुआ तब तत्काल ही हमें पता लगा कि कलम-४९८ का उपयोग पुलिस के द्वारा शायद ही किया गया था। उसे अन्य कलमों के साथ जोड़ दिया जाता है। हमने जिन नमूनों का अध्ययन किया है उनमें बताया गया है कि ६० प्र.श. मामलों में इस कलम को दूसरी कलम के साथ जोड़ दिया गया है। १९८४ से 'अवाज' स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु विषयक पुलिस दस्तावेज तलाश कर रही है। १९८४ से १९९५ के बीच ऐसी मौतों की संख्या बढ़ती रही थी। तालिका-१ में उसका विवरण दिया गया है। इस तालिका में जो ब्यौरा दिया गया है वह बताता है कि पुलिस ने चार

तालिका-१

गुजरात में महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु

वर्ष	कुल	दैनिक औसत
१९८४	१४१८	३.८८
१९८५	१०२४	२.८०
१९८६	२१३२	५.८४
१९८७	२२२०	६.००
१९८८	४११६	११.२०
१९८९	४२५४	११.६५
१९९०	३९८६	१०.९२
१९९१	३८६२	१०.५८
१९९२	४०१६	११.००
१९९३	४५२१	१२.३८
१९९४	४८३८	१३.२५
१९९५	५११२	१४.००

तालिका-२

आकस्मिक मृत्यु पाने वाली स्त्रियों की उम्र

वर्ष	स्त्रियां	प्र.श
०-१०	३६	३.६
११-२०	२५९	२५.९
२१-३०	३६३	३६.३
३१-४०	१२४	१२.४
४१ से ऊपर	११६	११.६
मालूम नहीं	१०३	१०.३
कुल	**१००१**	**१००**

शीर्षकों के अधीन इन मौतों को दर्ज किया है :

(१) हत्या - कलम ३०२ (आई.पी.सी.)

(२) दहेज मृत्यु - कलम ३०४ (आई.पी.सी.)

(३) आत्महत्या के लिए उकसाना - कलम ३०६ (आई.पी.सी.)

(४) अपघात या दुर्घटना के रूप में दर्ज - कलम १७४ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड)

अत: १९९५ में जिस तरह ये अप्राकृतिक मौतें दर्ज होती है उसका 'अवाज' द्वारा अध्ययन करना तय किया गया। यह अध्ययन १९९९ में प्रकाशित किया गया था। इसका नाम था - स्त्रियों के विरुद्ध

तालिका-३

वास्तविक कहानी-१

एक प्रौढ़ दम्पति ने 'अवाज' के काउंसलर से कहा :

'हम अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं। वह अपने ससुराल में कल रात जलने से मर गई।'

'वह वहां कब से थी? उसका विवाह कब हुआ था?' इत्यादि प्रश्न उससे पूछे गए।

'हमने कल सुबह ही उसे ससुराल भेजा था। वह विवाह के बाद १४ बार वापिस आई थी।'

वास्तविक कहानी-२

'जसोदा बहुत जल गई थी, तब वह अस्पताल में थी।'

समुबहन बता रही थी कि किस तरह उसकी बेटी जलने से मर गई।

मैंने पूछा: 'तो फिर उसने पुलिस को झूठ क्यों कहा?'

उसने उससे पूछा था कि

'तूने ऊंचाई पर रखे केरोसिन का दीया जलाने का प्रयत्न किया और तू गिर पड़ी और उससे जल गई, ऐसा तूने कहा। पर तू सच बता। दीया गिर जाने से क्या आग लग जाती है? किसने जलाया है तुझे?'

जसोदा ने उसे कसम दिलाई कि वे पुलिस को सच न कहे। तब उसने उससे कहा:

'वे (पति) खूब शराब पीकर घर आए और मुझे धमकाया। वे पीये हुए तो थे ही, अचानक गुस्से में मुझ पर केरोसिन छिडका और रोकने से पहले ही उन्होंने जलती तीली मुझ पर डाल दी। साड़ी सिंथेटिक की थी अतः तुरंत सुलग उठी।'

समुबहन ने जसोदा से फिर पूछा:

'पुलिस को तूने सच क्यों नहीं कहा?'

जसोदा बोली: 'जब मैं मर रही हूं तो पति के बारे में किस तरह कहूं। मुझे माफ नहीं करेगा। पाप का बोझ लेकर किस तरह मरूं।

घरेलू हिंसा का परिणाम - विधिवत छानबीन। यहां जो आंकड़े दिये गए हैं वे इसी अध्ययन से लिये गए हैं। इसमें १६५२ मामलों का अध्ययन किया गया था।

इनमें १००१ रसोईघर में जलने से हुई मृत्यु के थे। सैंकड़ों स्त्रियां क्या लापरवाही के कारण ही मरती हैं? वे आठ वर्ष की उम्र से सुरक्षा के जो पाठ सीखती हैं उन्हें कैसे भुला सकती हैं? क्या वे समर्पण नहीं करती, इसी कारण से परेशान की जाती हैं? क्या युवा स्त्रियां ही अपना जीवन बलिदान करती हैं? तालिका २ में दुर्घटना में ग्रसित स्त्रियों की मृत्यु का ब्यौरा उनकी उम्र के संदर्भ मे दिया गया है।

तालिका-२ का विवरण बताता है कि ११ से ३० वर्ष की स्त्रियां सबसे ज्यादा असहाय हैं। उसके बाद असहायता की मात्रा घटती जाती है। इस प्रकार लगभग ६२ प्र.श. मौतें युवा स्त्रियों की ही होती हैं। १० प्र.श. से अधिक मामलों में उम्र की जानकारी नहीं मिली। वे किस धर्म की थीं और किन जातियों की थीं, इसका ब्यौरा भी इस अध्ययन में जानने का प्रयास किया गया था।

जो विवरण प्राप्त हुए हैं वे तालिका-३ और-४ में दर्शाये गये हैं। गुजरात में अलग-अलग धर्म वालों की आबादी का जो औसत है वही औसत दुर्घटनाग्रसित स्त्रियों की मृत्यु में देखा जाता है। हिंदुओं में जो जातीय विभाजन दिखता है, उससे पता लगता है कि सबसे अधिक दुर्घटना मृत्यु अन्य पिछड़े वर्गों की स्त्रियों में हुई हैं और उनके बाद अनुसूचित जाति की स्त्रियों का नंबर आता है। इन दोनों वर्गों की स्त्रियां गरीब वर्ग की हैं। वे अपने घर और बालकों की देखभाल करने के अलावा आमदनी कमाने का काम भी करती हैं। उच्च जातियों और समाज के उच्च वर्ग में जो दो धारणाएं रहती हैं वे गलत हैं। एक धारणा तो यह है कि स्त्रियों की आर्थिक दशा अच्छी है क्योंकि वे अपने पति और पुत्रों की भाँति ही कमाई करने घर से बाहर जाती हैं।

उनकी आय बहुत अधिक है। मात्र वे यही नहीं जानती कि योजना बनाकर उसको किस तरह उपयोग में लाया जाए। दूसरी धारणा ऐसी है कि वे अपने पतियों को गाली दे सकती हैं, इस कारण वे

पारिवारिक दमन से बाहर निकल चुकी हैं। अहमदाबाद में माधुपुरा और मेघाणीनगर पुलिस स्टेशनों में काम करने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार यों कहा था कि अन्य पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को अधिक सहन करना पड़ता है, कारण यह है कि उनके पति शराब पीते हैं और कमाई करना बंद कर देते हैं।

स्त्रियों को अकुशल मजदूर के रूप में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पति जब नशे से बाहर आते हैं तो भोजन के लिए उनकी तरफ देखते हैं। पति अपनी पत्नी को किसी ऐसे पुरुष से पैसा पाते देखता है जिसके अधीन वह काम करती है, तो पत्नी के घर लौटने पर वह उस पर दुष्चरित्रता का आरोप लगाता है और उस पुरूष के साथ यौन संबंध का आरोप लगाता है। आरंभ में तो पत्नी प्रतिकार करती है, पर बार-बार झगड़ा होने से अपघात करने को विवश हो जाती है। इस तरह पुलिस इंसपेक्टर ने स्त्रियों के जीवन की वास्तविकता बताई।

आकस्मिक मृत्यु दर्ज करने की पुलिस की अपनी पद्धति है। मृत्यु के कारण अलग-अलग होते हैं। इनका ब्यौरा तालिका-५ में दिया गया है। यहां 'दुर्घटना' का अर्थ वास्तव में दुर्घटना है। अर्थात् बस में से उतरते समय गिर पड़ने से मृत्यु अथवा सोई हुई स्त्री पर दीवार गिर पड़ने से मृत्यु आदि जैसी दुर्घटना का समावेश है। तालिका-५ में किन कारणों से किस उम्र की स्त्रियों की मृत्यु हुई है उसका ब्यौरा दिया गया है।

जो ५७ प्र.श. स्त्रियां अपने रसोईघर में आग से जल मरी हैं, उनमें ७० प्र.श. से अधिक तो बहुत युवा स्त्रियां हैं। १२ प्र.श. से अधिक स्त्रियां ऐसी हैं जो इन स्त्रियों से थोड़ी ही बड़ी उम्र की हैं इस तरह ८२ प्र.श. स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने रसोई घर में भरी जवानी में मरती हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इस बारे में अन्य तमाम कारणों का महत्त्व कम प्रतीत होता है। १७६ स्त्रियों ने जहर खाकर अपने जीवन को समाप्त किया था। इनमें १३४ स्त्रियां तो ११ से ३० आयु की हैं। यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि लंबी बीमारी से मरने वाली स्त्रियों में भी बड़ी उम्र वाली स्त्रियों के बजाय छोटी उम्र वाली स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। इस तरह अप्राकृतिक मौत से मरने वाली स्त्रियों में ४१ से बड़ी उम्र की स्त्रियों की संख्या कम है। २९ युवा स्त्रियों ने लंबी बीमारी से तंग आकर जीवन समाप्त किया था, जबकि २२ स्त्रियों ने इसी कारणवश जिंदगी समाप्त की थी। अर्थात् वाकई ऐसा संदेह होता है कि क्या युवा स्त्रियों ने ही लंबी बीमारी से तंग आकर जीवन-लीला समाप्त की होगी?

तालिका-४
आकस्मिक मृत्यु की जातिवार हिन्दू स्त्रियां

जाति	संख्या	प्रतिशत
अनुसूचित जाति	२००	२५.६
अन्य पिछड़े वर्ग	३५२	४५.०
उच्च जातियां	२२९	२९.३
कुल	**७८१**	**१००.००**

तालिका-५
आकस्मिक मौत के कारण

कारण	संख्या	प्रतिशत
दुर्घटना	१५२	१५,२
रसोईघर में दुर्घटना	५७३	५७.३
जहर	१७६	१७.६
लंबी बीमारी	५९	५.९
मालूम नहीं	४१	४.१

वैसे, इतनी ही आघातजनक बात यह है कि बड़ी उम्र वाली स्त्रियों के मृत्यु के कारण भी विचित्र से मिलते हैं। ६३ या ७० वर्ष की वय की स्त्री आग लगने से मरती है, अथवा पानी गरम करते समय मरती है अथवा चाय बनाते समय मरती है या फिर केरोसिन का दीया जलाते समय मरती है। ऐसा भी होता है कि ५० से ६० के वय की स्त्रियां घर में झगड़ा होने से, जहर या एसिड पीने से मरती हों।

ये दस्तावेज देखते समय ऐसा लगता है कि बहुत स्त्रियां मूक भाव से सब सहन करती हैं। उनकी संख्या पुलिस स्टेशन जानी वाली स्त्रियों से काफी अधिक है। क्या उम्र है यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। विवाह के सात, दस या बीस वर्ष बाद भी अप्राकृतिक मृत्यु होती है। दुर्भाग्यवश, ये मौतें इस तरह होती हैं कि लगता है वे लापरवाही

तालिका-६

आकस्मिक मृत्यु के कारण (उम्रवार)

कारण	उम्र वर्ष							
	०-१०	११-२०	२१-३०	३१-४०	४१ से ऊपर	पता नहीं	कुल	प्र.श.
दुर्घटना	२५	१७	३२	२५	४५	८	१५२	१५.२
रसोई में दुर्घटना	९	१६८	२४१	७२	४२	४१	५७३	५७.३
जहर	१	६२	७२	१७	४	२०	१७६	१७.६
लंबी बीमारी	१	५	१४	१०	२२	७	५९	५.९
पता नहीं	-	७	४	-	३	२७	४१	४.१
कुल	३६	२५९	३६३	१२४	११६	१०३	१००१	१००.०

से हुई हैं अथवा जरा-जरा से कारणों से हुई हैं। समाज की मूढ़ता साफ दिखती है और उसके परिणामस्वरूप ही स्त्रियों को जो सहन करना पड़ता है वह दिखाई नहीं देता।

अध्ययन से प्राप्त सबक

'अवाज' के इस अध्ययन ने पुलिस दस्तावेजों में पीड़ित होने वाली स्त्रियों की दशा को जाहिर किया है। परंतु अध्ययन करते समय पीड़ित होने वाली स्त्रियों की दशा में झांकने का मौका भी अध्ययन दल को मिला है। 'अवाज' के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि स्त्रियों को अपने सिर का बोझ उतारने के लिए वे चाहे जो विकल्प पसंद करें, तब भी उन्हें सहयोग-समर्थन मिलना चाहिए। हमें लगा कि संकट में फंसी स्त्रियों की कम से कम इतनी सेवा तो करने की जरूरत है ही।

'अवाज' एक कार्यलक्ष्यी समूह है। अध्ययन से जो कुछ जानने को मिला उसके संदर्भ में कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना तय किया : वास्तव में, 'अवाज' द्वारा परिवार सलाह केंद्रों के सलाहकार और कानूनी मदद केंद्रों के सामाजिक कार्यकर्ता स्त्री-मित्र अभिगम अपनायें, इसके लिए हिमायत करना शुरू किया गया। हमने इसे स्त्री-केंद्री अथवा स्त्री-तरफी अभिगम का नाम दिया। पीड़ित स्त्रियों को सामाजिक सहयोग प्रदान करना जरूरी था।

१९९५ से १९९९ के मध्य हमने यह काम उनके साथ किया था। स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु को रोकने के लिए यह काम जरूरी था। हमने उनके सामने स्त्री-तरफी कानून के विषय में भी बात की। पुलिस स्टेशनों में होने वाली कार्यवाही और अदालतों में होने वाली कार्यवाही भी उनको समझाई गई। उनमें से ज्यादातर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा और उन्होंने यह अभिगम अपनाने का शुरूआत भी की।

परंतु उससे अप्राकृतिक मृत्यु की संख्या नहीं घटी। एक बात बार-बार ध्यान में आई कि पुलिस भारतीय दंड संहिता की कलम-४९८ के अधीन शिकायत दर्ज करने से ही इनकार करती है। अगर वह मना न करे तो बहुत सी स्त्रियां बच जाएं। अतः 'अवाज' द्वारा गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.) की इजाजत ली गई।

जनवरी १९९८ से २००० के अंत तक में गुजरात की ८० प्र.श. पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी गई और घरेलू हिंसा तथा मानसिक व शारीरिक त्रास के मामले में उस कलम के अधीन केस दर्ज करने हेतु बताया। इसके परिणाम स्वरूप केस दर्ज करने की मात्रा १९९८ के बाद बढ़ी। तालिका-७ में उसका विवरण दिया गया है। तालिका-८ में दिये गए ब्यौरे से यह देखने को मिलता है कि मामला दर्ज करना शुरू हुआ या बढ़ा, इससे अप्राकृतिक मौतों की संख्या में भी कमी हुई है।

भारतीय दंड संहिता में यह कलम १९८३ में दाखिल की गई थी। उसके बाद यह कहा गया था कि यह कलम बेकार है, परंतु यह अध्ययन बताता है कि यह कलम उपयोगी है और यह स्त्रियों की होने वाली अप्राकृतिक मौतों को रोकती है।

तालिका-७
भारतीय दंड संहिता की कलम ४९८ के अधीन पुलिस में दर्ज फरियादें

वर्ष	स्त्रियों की फरियादों की संख्या	रोज होने वाली फरियाद (प्र.श.में)
१९९३	१५४०	४.२२
१९९४	१५९६	४.३७
१९९५	१९५०	५.३४
१९९६	२५४५	६.९७
१९९७	२४१५	६.६२
१९९८	२९८९	८.१९
१९९९	३२७६	८.९७
२०००	३५६३	९.७६
२००१	३१९१	८.७४
२००२	२८६६	७.८५
२००३	३१८५	८.७२

तालिका-८
गुजरात में स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु

वर्ष	मृत्यु संख्या	दैनिक औसत मृत्यु
१९९३	४५२१	१२.३८
१९९४	४८३८	१३.२५
१९९५	५११२	१४.००
१९९६	५१६४	१४.१५
१९९७	५५२५	१५.१४
१९९८	६३४९	१७.३९
१९९९	६१३५	१६.०८
२०००	५५८३	१५.०३
२००१	४९२४	१३.४९
२००२	४६७२	१२.८०
२००३	४७४९	१३.०१
२००४	४६३१	१२.६८

इस कलम को बेकार बताने के लिए अनेक प्रकार की दलीलें दी गई थीं। यह भी कहा गया था कि इससे केसों की संख्या बढ़ेगी और अदालतों का बोझ बढ़ेगा, कारण कि अदालत में तो स्त्रियां समझौता कर लेती हैं और फिर अदालत का समय बरबाद होता है। साथ ही पति गैर-जरूरी मुसीबत में फंसते हैं।

हमारे अध्ययन में इन पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। ऐसी दलीले बेशक हो सकती हैं कि स्त्रियां समझौता कर लें। ऐसे समझौतों के कारणों की भी हमने छानबीन की। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि स्त्रियों पर सामाजिक दबाव ज्यादा होता है। वे अपनी शिकायतें वापिस न ले लें तब तक शिकायतें अदालतों में बोर्ड पर ही नहीं आतीं। सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अदालत में केस बोर्ड पर आने में वर्षों बीत जाते हैं। हमारा अध्ययन यह कहता है कि केस बोर्ड पर आने में ३,४,५ महीने १,२,३ वर्ष लगते हैं। इस सारे मामले में समझौता होता है। अपघात के मामले भी इसमें शामिल हैं।

अदालत की परिभाषा में यदि संबंधित पक्ष केस समाप्त करना चाहते हों अर्थात् समझौता करना चाहते हों तो कर सकते हैं अर्थात् कलम ४९८ के अधीन तलाक या अलग होने के लिए भी समझौता हो सकता है। इस कलम के अधीन शिकायतें वापिस नहीं ली जा सकतीं। अर्थात् स्त्री फरियादी को ऐसा झूठ बोलना पड़ता है कि उसने अदालत में कभी फरियाद की ही नहीं। तब अदालत अपने आदेश में यह बताती है कि प्रतिवादी निर्दोष है। वास्तव में, स्त्री-फरियादी तो न्याय प्राप्ति का इंतजार करती है, लेकिन तभी उस पर सामाजिक दबाव बढ़ने लगता है। तब वह ऐसी शर्त के साथ समझौता करती है कि उसे त्रास नहीं दिया जाता। 'अवाज' के शोधकर्ताओं ने ऐसी स्त्रियों से भी साक्षात्कार किया था और छानबीन की थी की उनको त्रास दिया जाता है या नहीं। परंतु जानने का मिला कि त्रास तो जारी रहता है, पर कम अवश्य हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कानूनी केस उपयोगी होता है।

कलम ४९८ स्त्री को सांस लेने का मौका प्रदान करता है और पति को सबक सिखाता है। हम यह मानने को प्रेरित हैं कि जो इस दंपति को जानते हैं उन सब के लिए यह सबक बनता है। मित्रों,

शेष पृष्ठ 39 पर

मैं माइकल रिवर्स क्यों नहीं बन सकता?

यह लेख 'उन्नति' के कन्सल्टेंट **श्री अरिंदम मित्रा** द्वारा तैयार किया गया है। वे रसायन इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के निष्णात हैं तथा कंपनी जगत में भी बहुत काम करते हैं। कुछ वर्ष पहले एक वाहन दुर्घटना के कारण उनकी रीढ़ में आघात लगा था, परिणामतः उनके दोनों हाथ-पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। वे अहमदाबाद में रहते हैं और अपने घर से ही काम करते हैं।

प्रस्तावना

माइकल रिवर्स (बदला हुआ नाम) अमेरिका में एक मैनेजमेंट कंसलटेंट हैं। रीढ़ में गहरी चोट लगने के कारण इनके दोनों हाथ-पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। पर माइकल किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह सम्पूर्ण जीवन जीते हैं। जब भी वे चाहते हैं तभी मोटरवाली व्हील चेयर में बैठ कर आफिस काम करने चले जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, ग्रंथालय जाते हैं। सप्ताहांत में वे मित्रों से मिलते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं और बड़े आनंद के साथ समय गुजारते हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरफ वे सम्पूर्ण जीवन जीते हैं।

मेरी रीढ़ में भी चोट लगी है और दोनों हाथ-पैर लकवाग्रस्त हो गये हैं, तो में माइकल रिवर्स क्यों नहीं हो सकता? मेरे पास भी व्हील चेयर है, तो फिर मैं बाहर क्यों नहीं निकल सकता और काम करने क्यों नहीं जा सकता? मैं घर में ही क्यों फंसा रह गया हूं। मुझे घर में ही काम क्यों करना पड़ रहा है?

इसका कारण एकदम सीधा-सादा है। माइकल को जहां-जहां जाना होता है, वहां-वहां रास्ते पर ढलान बनाई होती है, दरवाजे चौड़े होते हैं, स्विच, काउण्टर, कटहरे (रेलिंग) आदि ऐसे बने होते हैं कि जहां सहजता से पहुंचा जा सके। जबकि मुझे और मेरे जैसे अन्य लाखों लोगों को रोज ऐसे अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम लांघ नहीं सकता। ढलान का अभाव और जहां सीढी हो वहां कटहरे का अभाव, छोटे दरवाजे और मझले रास्ते, ऊंचे-नीचे फर्श तथा पहुंच से बाहर शौचालयों के कारण निर्माण कार्य का वातावरण मुझे मुक्त, सुरक्षित व सहभागिता युक्त भ्रमण नहीं करने देता। जो लोग दृष्टि से क्षतिग्रस्त हैं वे मेरे मित्र अचानक टकराने वाली वस्तुओं, अचानक आने वाले दिशा परिवर्तन या फर्श के स्तर में फेरफार का सामना करते हैं क्योंकि समुचित संकेत या चेतावनी की सूचना नहीं दी हुई होती, विषम रंगों वाले निशान और आवश्यक संकेत भी नहीं होते। बहरेपन वालों को आसानी से नजर आने वाली निशानियां न लगाई जाएं तो उन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सिर्फ मकानों में ही समस्या हो ऐसा नहीं है हमारी सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब न पहुंचने वाले होते हैं। ट्रेनों और बसों की तो बात ही क्या करें।

मैं कलकत्ते का हूं और पिछले ८ वर्षों से अपने घर नहीं जा सका। इसका एकमात्र कारण है कि ट्रेनें मेरी पहुंच से बाहर हैं। जरा सोचिये, मुझे ट्रेन के डिब्बे में बिठाने वाले लोग मिल जाएं तब भी मैं डिब्बे में कैसे घूम-फिर सकता हूं। ४० घंटे की यात्रा मैं पानी-पेशाब के बिना कैसे रह सकता हूं, जबकि मैं जाने की स्थिति में हूं भी नहीं। यदि विमान से यात्रा कर पाना मुझे पोसाता हो तब भी अहमदाबाद में एयर लाइन्स बताती हैं कि चार व्यक्ति उठा कर ही मुझे विमान में बिठा सकेंगे। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जो किसी भी व्यक्ति के गौरव के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे आलू का बोरा समझा जाए।

वैसे मैं शक्ति सम्पन्न हूं और इच्छाएं रखता हूं, फिर भी मुझे अपने घर में और दूसरी कई जगहों में फंसा रह जाना पड़ता है। मैं अपने श्रेष्ठ तरीके से अपना जितना काम चालू रख सकता हूं उतना चालू रखता हूं। दुर्भाग्यवश, अभी मेरे लिए और मेरे जैसे दूसरे अनेक लोगों के लिए माइकल रिवर्स जैसा बन पाना तो दूर का सपना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के अवरोध हैं, इसी कारण वे सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रभावी रूप से सहभागी नहीं बन सकते, फिर चाहे वे नेत्रहीन हों, बहरे हों या चलने-फिरने की दृष्टि से विकलांग हों। ये अवरोध दूसरे अनेक लोगों को भी प्रभावित करते हैं, यथा वृद्धों, आंशिक अपंग व्यक्तियों,

बालकों और सगर्भा स्त्रियों को।

दुनिया के अनेक देशों में समग्र प्रांगण इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जिसमें सबका समावेश संभव हो जाता है। पर उसके विपरीत अपने देश में हम अवरोध-मुक्त वातावरण बनाने में उनसे दशकों पीछे हैं। इन अवरोधों से अनेक लोगों के अधिकारों का हनन होता है और उन्हें सम्पूर्ण सहभागिता का अवसर नहीं मिल पाता, परिणामतः वे समाज से अंततः बहिष्कृत रह जाते हैं।

पूर्ण विराम?

आशा रखें या नहीं? भारत में परिस्थिति बदलने लगी है और उस पर धीमा-धुंधला प्रकाश दिखने लगा है। विगत कई वर्षों से अनेक व्यक्ति और संगठन सक्रिय रूप से अवरोध-मुक्त पर्यावरण के विचार का समर्थन कर रहे हैं। उनमें अनेक प्रतिबद्ध व्यक्ति, विकलांग लोगों के मंडल, गैर-सरकारी संगठन तथा 'मोबिलिटी इंडिया' द्वारा विकलांग लोगों के अधिकारों हेतु तथा उनकी पहुंच को बढ़ाने हेतु संघर्ष किया जा रहा है।

गुजरात में हैंडिकेप इंटरनेशनल' के साथ 'उन्नति विकास शिक्षण संगठन' पहुंच क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके क्रियान्वयन के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विकलांगता के सवाल पर काम करते समय यह समझ में आया है कि सामाजिक व व्यवहार परक अवरोधों के अलावा पर्यावरण में भौतिक अवरोध विकलांगों के समावेश में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। इन अवरोधों से उनकी सहभागिता घटती है और उनका निष्कासन हो जाता है।

कोष्ठक-१

अधिकांश लोग यह मानते हैं कि ढलान व लिफ्ट वातावरण को अवरोध-मुक्त बनाने के लिए जरूरी हैं। इस बात को स्पष्टतया समझने की जरूरत है कि अवरोध-मुक्त वातावरण उनसे विशेष है जिसमें अनेक अनिवार्य पक्ष समाहित हैं। उसमें दरवाजे व मार्ग चौड़े होने, फर्श सही होने, कटहरे होने, दरवाजे के हैंडल सही ऊँचाई पर होने, उचित संकेत और श्रव्य निशानियां होने आदि का समावेश है। इसके अलावा शौचालय पहुंच के अनुकूल होने चाहिए - इस बारे में तो शायद ही कहीं सोचा जाता है।

कोष्ठक-२

भारत में विभिन्न अनुमानों के आधार पर बताया जाता है कि देश में विकलांगों की संख्या ६ करोड़ है। वैसे शारीरिक पहुंच की समस्या वाले लोगों में वृद्धों, बालकों, सगर्भा स्त्रियों और थोड़े समय के लिए मुसीबतजदा लोगों का समावेश होता है। उनकी तादाद तो २० करोड़ से भी ज्यादा याने आबादी की २० प्र.श. के करीब है।

'एक्सेस रिसोर्स ग्रुप' नामक एक ऐसा प्रतिबद्ध समूह है जिसमें विविध स्थपति, नगर आयोजक, डिजाइनर, गैर-सरकारी संगठन, विशिष्ट संस्थाएं, विकलांग मंडल जैसे अनेक प्रकार के सलाहकार व सदस्य हैं। उन सबने साथ मिल कर गुजरात में पहुंच क्षमता बढ़ाने में सक्रिय काम शुरू किया है। यह एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य शायद ही एक मंच पर इकट्ठे होते हों। इस समूह के काम से नतीजे भी सामने आए हैं। अनेक भवन, बगीचे व अन्य स्थल अवरोध-मुक्त बनाये जाने के प्रयास हो रहे हैं। हाल ही में भोपाल में पुनर्निर्मित जहांनुमा पैलेस होटल अवरोध-मुक्त स्थान का अद्यतन उदाहरण है। स्थानीय गैर-सरकारी संगठन 'आरूषी' के मार्गदर्शन के अधीन इस होटल का नवनिर्माण हुआ है। उसमें बहरे, दृष्टिहीन समेत सभी विकलांग लोगों हेतु पहुंच बढ़ाई गई है। व्हील चेयर या घोड़ी काम में लेने वालों समेत सभी लोगों के लिए उसमें सुविधा दीं गई है।

भारतीय रेलवे में कम से कम एक डिब्बा विकलांगों हेतु बने और उसके भीतर की सीटें भी वैसी बनें तथा कछ ट्रेनों में शौचालय भी उनकी पहुंच के अनुकूल बने, इसके लिए प्रयास शुरू किये हैं, यह शुभ समाचार है।

कायदे किताबों में ही रहते हैं?

१९९५ में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और सम्पूर्ण सहभागिता) कानून बना, यह एक महत्त्वपूर्ण कदम लिया गया था। उसमें पहुंच क्षमता बढ़ाने में राज्य की भूमिका तय की गई। इसके अलावा, नेशनल बिल्डिंग कोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. मार्गदर्शक एवं विभिन्न शहरी विकास संस्थाओं के उप-नियम अवरोध-मुक्त वातावरण निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। वैसे, विकलांग व्यक्ति कानून की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के अभाव की वजह से और अधिकांश निर्माण कार्य उप-नियमों में पहुंच क्षमता अनिवार्य नहीं है, अतः इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में

कोष्ठक-३

पहुंच क्षमता खर्चीली नहीं

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता अथवा पहुंच निर्मित हो, ऐसी स्थिति शामिल करने का खर्च मकान या जगह के कुल खर्च का बहुत कम होता है। यदि आयोजन के स्तर पर ही ऐसा सोच लिया जाए तो खर्च कम ही आता है।

कोष्ठक-४

मैं वर्षों से सिनेमा या रेस्तरां में नहीं गया। बैंक, मनोरंजन होटल और टूरिज्म जैसे क्षेत्र अपनी सुविधाएं अवरोध-मुक्त न होने से ही अनेक ग्राहकों को गंवा रहे हैं, यह सच्चाई है।

मुसीबत खड़ी होती हैं और सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में शंका खड़ी होती है।

भावी मार्ग

यह उल्लेख आनंददायी है कि परिवर्तन हो रहे हैं और अनेक जगहों पर अवरोध-मुक्त स्थान बन गए है। ऐसा मात्र विकसित और समृद्ध देशों में ही बन रहा है। बेंगलूर, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। वे सिर्फ आदर्श नमूने नहीं वरन् प्रोत्साहन स्रोत हैं। इस पर बहुत मेहनत हुई है, परंतु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सर्व प्रथम और सबसे ज्यादा जरूरत कदाचित हम सबका मानस बदलने की है और अवरोध दूर करने की जरूरत है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि पहुंच बढ़ाना न मुसीबत भरा है, न खर्चीला, सिर्फ इच्छा शक्ति की ही जरूरत है।

दूसरों के अधिकारों को स्वीकार करने और उन्हें मान देने की भी जरूरत है और साथ ही साथ समाज को योगदान देने की उनकी शक्ति को भी पहचानने की जरूरत है। इसके लिए एक सर्वग्राही व्यूह रचना होनी चाहिए जिसे सभी शुभचिंतकों को बनाने की जरूरत है। इसके लिए निम्न मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है:

- सभ्य समाज पहुंच-क्षमता की जरूरत को समझे और स्वीकार करे।
- स्थपति, डिजाइनर, आयोजक और बिल्डर जैसे शुभ-चिंतक सजग-सावधानी के साथ अपनी डिजाइनें और भवन अवरोध-मुक्त बनाने का प्रयत्न करें।
- सरकार और शहरी अधिकारीगण उप-नियम अनिवार्य बनाएं और यह देखें कि विकलांग व्यक्ति कानून जैसे नियमों का क्रियान्वयन हो।
- सार्वत्रिक डिजाइन और अवरोध-मुक्त पर्यावरण का विषय तमाम डिजाइन और इंजीनियरी महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

दुनिया और भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम भी इनके साथ कदम मिलायें, यह समय की मांग है। आज समस्त उत्तरदायी नागरिक इकट्ठे हों और इस पर विचार करें कि इस मामले में किस तरह आगे बढ़ा जाए।

कोष्ठक-५

भवनों में पहुंच क्षमता बढ़ाने के स्वर्णिम नियम:

- जहां फर्श का स्तर बदले, वहां ढाल या कटहरे के साथ ढलान रखना। जहां ढलान संभव न हो या जहां मंजिल बदले, वहां लिफ्ट रखना।
- सभी सीढ़ियों और ढलान में कटहरे रखना तथा लिफ्ट में पकड़ने का साधन रखना।
- आसानी से आना-जाना संभव हो सके, इसके लिए दरवाजे और रास्ते चौड़े रखना।
- फर्श पर ऐसी सामग्री का उपयोग होता कि कोई फिसल न जाए।
- फेरफार करना हो तो वहां अवरोध-स्वरूप तमाम वस्तुएं हटा देना।
- वस्तुएं और फर्श का स्तर बदले तो अलग-अलग विपरीत रंगों का उपयोग करना।
- जहां दिशा और फर्श का स्तर बदले, जहां कम दिखाई देने वालों के लिए उपयोगी हो, इस दृष्टि से फर्श पर विपरीत रंगों वाले निशान करना।
- दरवाजों, नल आदि में हैंडल चिकने-गोल रखने के बजाय लीवर जैसे रखना।
- काउण्टर, वर्क टोप, स्विच, नल आदि इतनी ऊंचाई पर लगायें कि वे पहुंच-सीमा में हों।
- शौचालय के दरवाजे चौड़े रखना और सारे फिक्चर्स इतनी ऊंचाई पर रखना कि पहुंचा जा सके।
- लिफ्ट के दरवाजे चौड़े रखना और उनको खोलने का समय अधिक रखना। लिफ्ट के दरवाजे के सामने दीवार पर कांच रखना ताकि व्हील चेयर में बैठा व्यक्ति मंजिल की संख्या देख सके। दृष्टिहीनों के लिए श्रव्य संकेत रखना।
- बहरेपन वालों के लिए उचित संकेत रखना। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल और टेक्टाईल नक्श व संकेत रखना।

बलात्कार के मामले में न्याय के प्रयास

गुजरात में बनासकांठा जिले के एक गांव में एक दलित बालिका पर एक युवक ने बलात्कार किया। 'बनासकांठा दलित संगठन' द्वारा यह मामला हाथ में लिया गया और अपराधी को दंडित करना सुनिश्चित किया गया। मामले की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान संगठन ने जो कदम उठाये और संगठन के कार्यकर्ताओं के जो अनुभव रहे, उनकी कहानी यहां प्रस्तुत है। आम आदमी के लिए न्याय पाना कितना मुश्किल है और उसकी प्रक्रिया कितनी जटिल है, यह बात इस आलेख से समझ में आती है।

प्रस्तावना

बनासकांठा जिले के रतनपुर-रामपुर हाईवे के पास इसी क्षेत्र की एक दलित बालिका पर हुए बलात्कार के बाद अपराधी को दंड दिलाने के लिए 'बनासकांठा दलित संगठन' द्वारा जो प्रयास किये गए हैं उनका विवरण यहां दिया गया है। न्याय प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसके अनुभवों की दास्तान यहां प्रस्तुत है।

खीमाणावास गांव के दलित वशरामभाई और पालुबहन की ११ वर्षीया पुत्री स्मिता (नाम बदला गया है) के साथ २२-२-२००३ को शाम ५ से ६ बजे के बीच बलात्कार हुआ। स्मिता अपनी बड़ी बहन के साथ सामपुरा की डॉक्टर ज्योतिबहन के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करती थी। स्मिता 'तेजा जादूगर' कंपनी में भी काम करती थी।

रामपुर रेफरल अस्पताल के पास विगत एकाध महीने से इस कंपनी ने पड़ाव डाला हुआ था। घटना वाले दिन वह पानी भरने गई थी और उस समय उस कंपनी में कोमेडियन के रूप में काम करने वाले सुरेश (नाम बदला गया है) द्वारा उसे रास्ते में रोक लिया गया। उसने उसे पकड़ कर मुँह में कपड़ा ठूंस दिया और झाड़ी में खींच कर ले गया जहां उसके साथ बलात्कार किया। सुरेश का निवास इसी गांव के नये वास में है। वह २५ वर्ष का है, विवाहित है और उसके दो पुत्रियां हैं। वह बयान में यह कहता था कि स्मिता के साथ उसका खास संबंध है और स्मिता की सहमति से ही वह उसके साथ संबंध रखता है। पर उस दिन तो ऐसा सम्बंध हुआ भी नहीं था।

स्मिता के माता-पिता के पास ५ एकड़ जमीन है। वशरामभाई के भाई की दुर्घटना में मृत्यु होने से वे रामपुर नगर में चले गए थे। अपनी जमीन उन्होंने हिस्सेदारी-खेती हेतु सौंप दी थी और वे फुटकर मजदूरी करते थे। उनकी दो लड़कियां डॉ. ज्योति बहन के घर में काम करती थी और ९०० रु. महीना कमाती थीं।

बलात्कार के बाद रामपुर के पी.एस.आई. द्वारा शिकायत दर्ज की गई और रामपुर रेफरल अस्पताल में बालिका की डॉक्टरी जांच की गई। बालिका और आरोपी दोनों के बयान लिये गए। आरोपी की धर-पकड़ हुई और कस्टडी में रखा गया। केस चला और आरोपी को १० वर्ष की कैद की सजा और २००० रु. का जुर्माना हुआ। पर इस केस में 'बनासकांठा दलित संगठन' द्वारा जो मध्यस्थता की गई और केस की समग्र प्रक्रिया के दौरान जो कुछ घटित हुआ उससे ज्ञात होता है कि न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया कितनी उलझन भरी है।

संगठन के प्रयास

पहला कदम : कार्यकर्ताओं का पहला कदम था परिवार को विश्वास में लेना, भावनात्मक सहयोग देना और न्याय प्राप्त करने की लड़ाई में संगठनात्मक मदद देना। संगठन ने परिवार को भरोसा दिलाया कि आगामी महीनों में वे जरूरी डॉक्टरी जांच और सलाह-मशवरे के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दूसरा कदम : परिवार का विश्वास पाने के बाद महिला कार्यकर्त्रियों ने पीड़िता के साथ समय बिताया और उसका विश्वास प्राप्त किया। उसके साथ बातचीत करके, यह समझा कर कि सब-कुछ ठीक-ठाक होगा, उसका विश्वास हासिल किया।

तीसरा कदम : तदुपरांत परिवार के सदस्य डॉक्टरी जांच हेतु संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जाने को सहमत हुए। वहां उस बालिका को भर्ती किया गया, डॉक्टरी जांच हुई और उसका उपचार किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ परिवार जैसा ही व्यवहार किया। वे उसे बुरे अनुभव से बाहर लाने के प्रयास में लगे रहे। उसके साथ संवाद का क्रम शुरू किया गया ताकि वह आने वाले महीनों में अधिक मुक्त भाव से बातचीत कर सके। केस की शुरूआत से पहले यह बहुत महत्त्वपूर्ण था।

चौथा कदम : कार्यकर्ताओं ने लंबी अवधि की योजना बनाई ताकि लंबे समय तक विश्वास का सेतु बना रहे।

- आरंभ के सप्ताहों के दौरान परिवार के साथ रहना और समाधान के लिए कोई नेता आए तो उस पर नजर रखना।
- बालिका के साथ समय बिताना, उसका विश्वास बढ़ाना और उसकी भावनाओं को समर्थन देना।
- समुदाय के साथ समय बिताना ताकि परिवार को समुदाय का सहयोग मिले।

पांचवां कदम : कार्यकर्ताओं ने गांव में बराबर नजर रखी। परिवार पर गांव के या समुदाय के बुजुर्गों द्वारा रुपयों-पैसों या धमकी से समाधान करने के लिए दबाव पड़ता है या नहीं, यह देखा। पीड़िता के परिवार के साथ सतत सम्पर्क में रह कर गांव और समुदाय के अंदरूनी पक्ष को समझना जरूरी था। परिवार पर समझौते के लिए दबाव आने अथवा सुनवाई के समय बयान बदल देने जैसी संभावनाएं थीं। सतत सम्पर्क द्वारा कार्यकर्ताओं ने परिवार के साथ घरेलू रिश्ता बना लिया।

छठा कदम : इस दौरान संगठन के कानूनी विभाग ने वकीलों के साथ सतत सम्पर्क रखा और यह जानने का प्रयत्न किया कि केस की सुनवाई कब होती है। जब केस न्यायालय के बोर्ड पर आया, तब कार्यकर्ता सरकारी वकील से मिले। ऐसा लगा कि उन्होंने केस को भलीभांति पढ़ा ही नहीं था। उन्होंने व्यूह रचना पर विचार ही नहीं किया था। वे एक ही बात की रट लगाये हुए थे और वह था समझौता। कार्यकर्ताओं ने उन्हें केस की गंभीरता समझाई। उन्होंने उन्हे कहा कि परिवार की रुचि समझौते में नहीं है। तब कार्यकर्ताओं ने केस की संभावना की चर्चा की और व्यूह रचना सोची।

सातवाँ कदम : संगठन को लगा कि सरकारी वकील के साथ-साथ अपना वकील भी होना चाहिए, अतः न्यायमूर्ति की अनुमति से एक वकील नियुक्त किया गया। यह तय रहा कि वह सरकारी वकील को दलील में मदद करे। दूसरे, यह भी जरूरी लगा कि जब केस चल रहा हो, तब कोई महिला सामाजिक कार्यकर्त्री उपस्थित रहे। अतः न्यायमूर्ति से लिखित अनुरोध किया गया और उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी।

आठवां कदम : सरकारी वकील द्वारा ऐसा अनुरोध करवाया गया कि पीड़िता का बयान अंत में दर्ज कराया जाए और बाकी के सदस्यों के बयान शुरू में लिये जाएं। कमजोर न पड़े और पीड़िता न्यायमूर्ति का सामना आत्मविश्वास से कर सके, उसके लिए कार्यनीति बनाई गई।

नवां कदम : केस की सफलता के लिए पीड़िता और अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना तय किया गया। यह इस प्रक्रिया का सबसे मुसीबत भरा भाग था। पीड़ित बालिका तो ११ वर्ष की ही थी। उसे जो कुछ घटित हुआ था, उसे याद करना था और परेशान कर देने वाले सवालों के जवाब देने थे। बचाव पक्ष के वकील के सवालों के जवाब किस तरह दिये जाएं, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। यह तो और ज्यादा मुश्किल काम था। वकील तो व्यावसायिक रूप से प्रश्न पूछते हैं। अतः कार्यकर्ताओं को बालिका और परिवार को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना था। केस शुरू हुआ। कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ ही न्यायालय गए। उन्होंने न्यायलयी तंत्र और न्यायमूर्तियों के बारे में बताया और उनको बोलने में मदद दी। पंचनामे में जिनके नाम थे, उन सबकी कार्यकर्ताओं ने मदद दी। उनको भी प्रशिक्षण दिया गया, संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी सतत सम्पर्क रखा था।

दसवां कदम : परिवार और अदालत के साथ कार्यकर्ताओं का निरंतर सम्पर्क रहा। जब भी सुनवाई चलती तो वे उपस्थित रहें, इस बात का ध्यान रखा गया।

ग्यारहवां कदम : न्यायमूर्ति से विनती की गई कि केस बंद कमरे में चलाया जाए। पीड़ित बालिका का गौरव सुरक्षित रहे, यह महत्त्वपूर्ण मुद्दा था। महिला समाजिक कार्यकर्त्री उसे हिम्मत बढ़ाने के लिए बराबर उपस्थित थीं। बचाव पक्ष के वकील ने भी सवाल पूछे। कई बार न्यायमूर्ति ने भी पूछे।

विविध अनुभव

इस केस के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक विभिन्न लोगों से मिले विविध प्रकार के अनुभव इस प्रकार हैं:

१. पुलिस

रामपुर के पुलिस कांस्टेबल बालिका के साथ जिला अस्पताल और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में आये थे। पुलिस का रुख प्रोत्साहक शायद ही था। अस्पताल के अधिकारियों को उनकी बातचीत से ऐसा लगा। जिला सिविल अस्पताल में जब पहली बार स्मिता को मिले थे तो वह थकी हुई बिस्तर में पड़ी थी। डॉक्टर ने केस अहमदाबाद के सिविल अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर ने कहा कि बालिका को प्रसूति संबंधी इलाज की जरूरत है अतः उसे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाना पड़ेगा।

महिला पुलिस कांस्टेबल उर्मिला बहन ठाकोर ने कहा कि, 'अहमदाबाद के सिविल अस्पताल जाना कैसे संभव है? मुझे तो सिविल अस्पताल का कुछ पता नहीं है। मैं तो रामपुर से आई हूं और सुबह से कोई तैयारी भी नहीं कर सकी।' जब बी.एस.सी. द्वारा यह केस हाथ में लिया गया तब उसने बालिका, उसके परिवार और पुलिस को अहमदाबाद ले जाने की जिम्मेदारी ली थी। हकीकत में क्या यह जिम्मेदारी पुलिस को नही निभानी चाहिए थी?

दूसरे, पुलिस को अस्पताल की कार्यवाही का कुछ पता नहीं होता और अपरिचित स्थान पर अपरिचित लोगों से बातचीत करने का उसे आत्मविश्वास नहीं होता। केस दर्ज करने, वार्ड ढूंढने, डॉक्टर से बातचीत करने आदि तमाम मामलों में वे लोग घबराते हैं। तीसरे, महिला कर्मचारी भी पीड़िता को ज्यादा सहयोग-समर्थन नहीं देती। डॉक्टरी जांच के दौरान भी सहयोग देने के बदले उन्होंने सारी जिम्मेदारी बी.एस.सी. पर डाल दी। वैसे देखें तो पुलिस को पूरी तरह से इस मामले में वाकिफ होना चाहिए और उसे ही सारी कार्यवाही करनी चाहिए थी। चौथे, डॉक्टरी जांच पूरी हो जाने के बाद महिला कर्मचारी की उसके सगे-संबंधियों के घर जाने और वहां रुकने में रुचि थी।

२. सिविल अस्पताल

११ वर्षीया बालिका जब सिविल अस्पताल पहुंची तब इमरजेंसी और केजुअल्टी विभाग में एक मृतदेह पड़ी थी और अनेक फ्रेक्चर वाला व्यक्ति वहां आया था। बालिका अपनी माता के साथ वहां बैठी। पुलिस और बी.एस.सी. के कार्यकर्ता केस दर्ज कराने की कार्यवाही में व्यस्त थे। अंततः ४५ मिनट बाद बालिका को गायनेकोलोजी वार्ड में भर्ती किया गया। रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि बालिका को प्रसूति कक्ष में ले जाना पड़ेगा। वहां अनेक गर्भिणी स्त्रियां थीं। जिस पलंग पर स्मिता थी, वह दूसरे पलंगों से अलग नहीं था।

अतः उसकी नजर में बहुत दृश्य आये : गर्भपात कराने वाली स्त्रियां, प्रसूति की पीड़ा महसूस करने वाली स्त्रियों की चीखें, बालक के जन्म लेने के बाद अपने सगे-संबंधियों को खोजती एक स्त्री की आंखें। उस समय पुलिस कुछ खाने के लिए बाहर गई थी। उसकी मां तीन माह के बालक को स्तनपान कराने बारह गई थी। कार्यकर्ता ने स्मिता से बातचीत करके सहस बंधाने का प्रयास किया। उसने डॉक्टर से तुरंत जांच करने का निवेदन किया।

रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि उसे जांच करने का अधिकार नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी और वही जांच करेंगी। डॉक्टरों और नर्सों का रुख अच्छा था। रात को १२ बजे जांच के बाद उसे वार्ड बी-३ में ले जाया गया। अगले दिन एक्सरे की कहानी। एक्सरे करवाने की कार्यवाही में ही आधा घंटा बीत गया। उससे उसकी उम्र तय होती है। अस्पताल में कोई जान-पहचान वाला नहीं होता तो उसमें पूरा दिन बीत जाता।

३. परिवार

धनाभाव के कारण मनुष्य संवेदनहीन बन जाते हैं। जब डॉक्टर जांच कर रहे थे और हम इंतजार कर रहे थे, तब बालिका के पिता

ने पूछा था कि 'यहां पर हमे कितने दिन लगेंगे?' उनके लिए फसल की कटाई का समय महत्त्वपूर्ण था अतः वापिस घर जाना था। मां को भी घर पर दो बच्चों की चिंता थी। पर बालिका को परिवार की जरूरत थी। १४ सदस्यों का वह परिवार सतत अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था अतः प्रेम उसके लिए वैभव की चीज थी।

४. समाज

परिवार अपने घर लौटा तो लोग उसके घर पर इकट्ठे होने लगे। कई लोग उनसे यह कह रहे थे कि 'यह बेटी तो मर गई इसका तुम क्या कर लोगे?' बेटी की मां बहुत विक्षुब्ध थी। उसकी इच्छा थी कि बेटी किसी दूसरी जगह पर रहे तो अच्छा हो, ताकि उसके कानों में ऐसी तमाम बातें तो न पड़ें।

५. सरकारी वकील और बचाव पक्ष का वकील

पहली सुनवाई के पहले दिन सरकारी वकील के साथ पहली मुलाकात हुई थी जो बहुत आशास्पद नहीं थी। उसने केस को पढ़ा भी नहीं था। क्या सरकारी वकील मोटे तौर पर बलात्कार के मामले में ऐसा ही करते हैं?

वह इस वहम में था कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का टेस्ट सकारात्मक था। नकारात्मक बताये जाने पर उसे आश्चर्य हुआ था। पूरा केस बालिका के बयान पर आधारित था अतः नितांत अलग ही तरह की व्यूह रचना जरूरी थी। उसने कहा कि सुनवाई के समय बालिका मुकर जाएगी। सरकारी वकील का यह निरुत्साही रुख आघातदायी था। बचाव पक्ष के वकील ने पीड़ित परिवार के साथ ५०,००० रु. में समझौते का प्रयास किया था, पर परिवार डिगा नहीं। वह सुनवाई के समय अप्रासंगिक सवाल पूछ कर बालिका को उलझन में डालना चाहता था।

६. अदालत

न्यायमूर्ति ने बालिका स्मिता से सुनवाई शुरू होते समय पूछा था: 'क्या तू सच बोलती है?' स्मिता मौन रही थी। उसने प्रश्न फिर से पूछा, तब भी वह चुप रही। तब न्यायमूर्ति ने पूछा: 'क्या तू मंदिर जाती है?' उसने कहा: 'नहीं।' वह दलित थी और गांव के मंदिर में प्रवेश सुलभ न था। न्यायमूर्ति ने कहा: 'जिस तरह मंदिर में तू सच बोलती है, वैसे ही तुझे सच बोलना है।' बालिका राजस्थानी मिश्रित गुजराती भाषा बोलती थी। पर वकील शुद्ध गुजराती बोलते थे। अतः सवाल समझ पाना और उनका उत्तर दे पाना बालिका के लिए मुश्किल हो रहा था। बचाव पक्ष का वकील बराबर कह रहा था कि लड़की, तू क्या बोलती है, मुझे पता नहीं चलता।

कतिपय अवलोकन

- सरकारी वकील का प्राथमिक रुझान तो न्याय के लिए लड़ने की बजाय समझौता कराने का था।
- अदालत में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह ग्रामीण लोगों के लिए इतनी अपरिचित होती है कि धमकी जैसी लगती है। न्यायमूर्ति उसे समझ में आने जितनी सरल करें तो कुछ हो सकता है।
- कानून सरल होना चाहिए और समझने में आसान होना चाहिए। इसके बजाय वकील उसे इतना जटिल कर देते हैं कि पीड़ित इसी कारण अदालतों से दूर रहते हैं।
- महिलाओं के अधिकारों हेतु काम करने वाले संगठनों को समुदाय की हलचल पर बराबर नजर रखनी चाहिए। इसके उपरांत, सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील पर भी देखरेख रखनी चाहिए।
- अगर निरंतर मजबूत सहारा साथ न हो तो नितांत विरोधी वातावरण में एक महिला के लिए लड़ पाना मुश्किल होता है।

सुझाव

स्मिता नामक ११ वर्षीया बालिका पर हुए बलात्कार के उपर्युक्त केस के अनुभवों के आधार पर न्याय प्राप्ति हेतु देश में प्रवर्तमान सम्पूर्ण प्रक्रिया में निम्नानुसार बदलाव करने की जरूरत प्रतीत होती है:

१. पुलिस और विशेष रूप से महिला पुलिस को महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत है क्योंकि ऐसा लगता है कि वे महिलाओं को मोटे तौर पर मनुष्य समझते ही नहीं।

२. विशेष रूप से बलात्कार की शिकार बनी स्त्रियों को महिला पुलिस सहयोग दें, यह जरूरी है। महिला पुलिस को इस संबंध में विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

३. ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों को शहरी अस्पतालों की कार्यवाही की जानकारी होनी चाहिए। अस्पतालों के अधिकारियों और उनके कार्यों को वे भली भांति जानें, यह जरूरी समझा जाना चाहिए। उनके प्रशिक्षण में इस विषय का समावेश होना चाहिए। इसके उपरांत अस्पताल के अधिकारियों और पुलिस के बीच इस संबंध में सम्पर्क बना होना चाहिए।

४. एक इलाके से दूसरे इलाके में केस स्थानांतरित हो तो उनको साधन व समर्थन-सहयोग मिलना चाहिए।

५. अस्पताल में बलात्कार की शिकार स्त्रियों को अलग वार्ड में रखना चाहिए और उनकी अलग चिकित्सा होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि वार्ड में सब लोग उनकी तरफ देखते न रहें।

६. अस्पताल की कार्यवाही तेज़ व सरल होनी चाहिए। पुलिस केस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन काउन्टर होना चाहिए, जांच तत्काल होनी चाहिए। ■

पृष्ठ 44 का शेष भाग

राज्य स्तरीय विमर्श सभा आयोजित की गई थी। राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही और उसकी भूमिका के बारे में भी ऐसी ही कार्यसभा आयोजित की गई थी। साबरकांठा जिले की ४ तहसीलों के कई नागरिक नेताओं के लिए द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। उसमें १३० नागरिकों ने भाग लिया था। 'राज्य ग्राम विकास संस्थान' (एस.आई.आर.डी.) हेतु शासन विषयक छह संक्षिप्त वीडियो फिल्में गुजराती में बनवाई गई हैं। उनका उपयोग 'सेटकोम' द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा। वे बिक्री के लिए नहीं हैं।

राजस्थान में सरकार ने १६ से ३१ दिसंबर २००५ के दौरान बी.पी.एल. सूची में संशोधन हेतु वार्ड सभाएं आयोजित करने की घोषणा की थी। जोधपुर जिले में ६ तहसीलों की ६० ग्राम पंचायतों में और बाड़मेर जिले की एक तहसील की १० ग्राम पंचायतों में विधवाओं, स्थलांतरित परिवारों जैसे असहाय वर्गों का इस सूची में समावेश करने हेतु प्रयास किये गए।

इन तीन महीनों के दौरान रेडियो कार्यक्रम में इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस प्रदेश में आवास सम्बंधी स्थिति को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया था।

शहरी

गुजरात में छोटे और मझौले नगरों के शासन में नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने का हमारा काम चालू है। पानी सफाई और कचरे का एकत्रीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं हेतु उत्तरदायी व्यवस्था तैयार करने हेतु ४ नगरों में समुदाय की सहभागिता के बारे में उन पर नजर रखी गई। झोंपड़पट्टी के प्रश्न को हल करने और जमीन की सनदों की स्थिति समझने हेतु प्रांतिज, मोडासा, खेडब्रह्मा, और ईडर नगरों में एक सर्वेक्षण हाथ में लिया गया। भचाऊ में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य की प्रक्रिया के भाग स्वरूप आवास के निर्माण-कार्य की और जमीन को कानूनी बनाने की प्रक्रिया पर देखरेख रखी गई। भचाऊ नगर के कई नेताओं हेतु एक दिवसीय एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। गुजरात में ४१ नगर पालिकाओं के चुनाव के संदर्भ में स्थानीय संगठनों ने साथ मिल कर ५ नगरों में चुनाव पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान हाथ में लिया था। उसमें नागरिकों को मतदान करने हेतु और चुनाव प्रक्रिया में सहभागी बनने हेतु प्रेरणा दी गई थी।

गुजरात में २००५ को शहरी विकास वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। गुजरात सरकार ने नगरपालिका के कार्य तय किये थे। केंद्र सरकार ने भी 'राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन' की घोषणा की है। इस संदर्भ में कई नगर पालिकाओं लोकेंद्री ठोस कचरा संचालन योजना हेतु तकनीकी मदद प्रदान की गई। गुजरात शहरी विकास कंपनी (जी.यू.डी.सी.) के साथ अन्य नगरपालिकाओं में भी ऐसी ही प्रक्रिया हाथ में लेने हेतु बातचीत शुरू की गई है। ■

गतिविधियाँ

दलित अधिकार कारवां

आज भी भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक वास्तविकता है। सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण कानून-१९५५ और अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून-१९८९ जैसे सख्त कानून होते हुए और अनेक योजनाओं की व्यवस्था होने पर भी दलितों की स्थिति गंभीर है। अपने स्वतंत्र राष्ट्र में जाति व्यवस्था के कारण कुछ वर्गों को सामाजिक अलगाव, भेदभाव, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन, अत्याचार और राजनीतिक अन्याय का शिकार बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का व्यवहार सिर्फ गरीब, निरक्षर व ग्रामीण दलित महिलाओं और पुरुषों के साथ ही होता है। परंतु सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे, आर्थिक रूप से समृद्ध और राजनीतिक नेतृत्व वाले लोगों के साथ भी होता है।

आज भी दलित बालक शाला में एक ही मटकी से पानी नहीं पी सकते, दलित लोग विवाह के समय घोड़े पर नहीं बैठ सकते, साफा नहीं पहन सकते और पंचायत में एक ही जाजम पर नहीं बैठ सकते। दलित महिलाओं पर नकारात्मक पहचान लादी जाती है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण उन पर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक अन्याय हो रहे हैं। राजस्थान में २००१ में दलितों पर हुए अत्याचारों के ५२९५ मामले दर्ज हुए थे। २००४ में वे २९ प्र.श. बढ़कर ६८४२ मामले हो गए। आर्थिक संसाधनों के अभाव तथा उनकी जमीनों पर गैर दलितों द्वारा होने वाले कब्जों के परिणामस्वरूप दलित अत्यंत गरीब और आर्थिक दृष्टि से परावलंबी हैं। इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ यदि एतराज खड़ा जाए तो आर्थिक सहयोग और सामाजिक बहिष्कार का शस्त्र उन पर उठाया जाता है और उन्हें धमकियों व हिंसा का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में विगत कई वर्षों से इसके उदाहरण बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं।

जाति प्रथा और अस्पृश्यता ने सदियों से भारतीय समाज को असंगठित, कमजोर और अन्यायी बनाया है। आज समाज में अस्पृश्यता रूपी अमानवीय सामाजिक व्यवस्था की चुनौती खड़ी है। आजादी के बाद वाले ५७ वर्षों ने हमें यह सबक दिया है कि इन समस्याओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनके उन्मूलन के लिए मात्र सरकार द्वारा ही मजबूत कदम उठाना, काफी नहीं है। दलित समुदाय को संगठित होना पड़ेगा और समुदाय को अधिकार के लिए संघर्ष रत रहना पड़ेगा।

मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाले गैर-दलितों को भी यह मुद्दा संवेदनशील बनाना पड़ेगा। ऐसे प्रयासों को मजबूत बनाना पड़ेगा। ऐसे प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान में दलितों की समस्याओं पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों व दलितो द्वारा २२-११-२००५ से ६-१२-२००५ तक एक राज्य व्यापी रैली 'दलित अधिकार कारवाँ' का आयोजन किया गया था। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे :

१. दलितों की प्रगति हेतु कार्यरत व्यक्तियों और संगठनों को एक ही मंच पर लाने का प्रयत्न करना।
२. दलितों की सामुहिक शक्ति का प्रदर्शन हो और इस तरह उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो।
३. दलितों, पीड़ितों व शोषितों को जाग्रत करके उन्हें संगठित करना।
४. दलितों की समस्याओं के संबंध में सरकार व सभ्य समाज को संवेदनशील बनाकर उनका संघर्ष से जुड़ने हेतु आह्वान करना।

यह कारवाँ राजस्थान के तीन अलग-अलग भागों से शुरू हुआ था : पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, उत्तर राजस्थान में हनुमानगढ़ और दक्षिणी राजस्थान में चितौड़गढ़। राजस्थान के २७ जिलों में स्थानी संगठन और दलित नेताओं के सहयोग से स्थानीय रैलियां और सभाएं आयोजित की गई। स्थानीय सत्ताधिकारियों को दलितों की समस्याओं के बारे में आवेदनपत्र भी दिये गए। इस रैली में ७०

दलित महिलाओं-पुरुषों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। बैठकों के दौरान दलित नेताओं द्वारा दलितों की समस्याओं के बारे में विश्लेषण किया गया। तीन क्षेत्रों से आई रैलियां ६ दिसंबर २००५ को जयपुर में एक विशाल जनसभा में रूपांतरित हुई थी। उसमें लगभग ७०० दलित उपस्थित थे। इस सभा को नेशनल कौंसिल फोर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स (एनसीडीएसआर) के श्री पी. एल. भीमरोठ तथा श्री थानसिंह और पीयूसीएस की सुश्री कविता श्रीवास्तव आदि ने सम्बोधित किया था।

अन्न व काम का अधिकार : कोलकाता सम्मेलन

कोलकाता के समीप बाडु में १८ से २० नवंबर २००५ के मध्य अन्न व काम के अधिकार के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ था। उसमें देश भर से लगभग ६०० कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। इसका उद्घाटन व्याख्यान पी. सांईनाथ ने दिया था। उन्होंने देश की वर्तमान अन्न व रोजगार की परिस्थिति के बारे में बताया था। इसी बैठक में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता ने ऐसा भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु पूरी तरह तैयार है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्न हेतु बालकों के अधिकार, वर्तमान जीवन निर्वाह की रक्षा, जंगल व जमीन के अधिकार, असंगठित मजदूरों हेतु सामाजिक सुरक्षा इत्यादि विषयों पर समानांतर कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। सूचना अधिकार अधिनियम और रोजगार गारंटी कानून के बारे में दो प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, डॉ. देवल दवे का 'विश्व व्यापार संगठन' (वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन-डब्ल्यूटीओ) संबंधी व्याख्यान, कोलकाता में वेश्याओं के संघर्ष संबंधी प्रस्तुति, दक्षिण अफ्रीका के दो प्रतिनिधियों के विचार इत्यादि कार्यक्रम भी इस सम्मेलन के दौरान आयोजित किये गए थे।

२० नवंबर को आयोजित की गई अंतिम बैठक में संगठनात्मक सवालों पर चर्चा की गई थी। अभियान के संभावित तंत्र के बारे में कई रोचक विचार प्रस्तुत किये गए। इस संबंध में ऐसा तय हुआ कि अल्पकाल में ही बैठक आयोजित की जाए। इस दौरान वार्षिक अधिवेशन तो आयोजित हो ही, और उसका सचिवालय चालू रखने का निश्चय किया गया। एक सलाहकार समूह गठित किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें: righttofood@gmail.com

'लोकनाद' का अभिवादन कार्यक्रम

समाज से सम्बद्ध मुद्दों को गीत-संगीत व साहित्य जैसी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से उजागर करने वाले मंच के रूप में 'लोकनाद' प्रसिद्ध है। समाज में समरसता, भाईचारा और शांति स्थापित हो, इस दिशामें 'लोकनाद' के श्री विनयभाई और सुश्री चारूलबहन महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इनकी निष्ठा व रचनात्मक दृष्टि की कद्र करके दिल्ली स्थित 'सांस्कृतिक प्रतिष्ठान' द्वारा उन्हें २००५ के वर्ष का 'विशिष्ट सामाजिक उपलब्धि पुरस्कार-संस्कृति एवार्ड, प्रदान किया। इस प्रयोजन से 'चरखा', 'नया मार्ग' और 'भूमिपुत्र' द्वारा संयुक्त रूप से 'लोकनाद' का अभिनंदन करने का कार्यक्रम अहमदाबाद के गज्जर हॉल में २-१-०६ को आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने-माने कला विवेचक और 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के पूर्व स्तंभकार डॉ. एस. डी. देसाई और मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने कवि और राजकोट आकाशवाणी केंद्र के निदेशक श्री तुषार शुक्ल उपस्थित थे। श्री विनयभाई और श्री चारूलबहन द्वारा कार्यक्रम के अंत में गीत प्रस्तुत किये गए।

विकासपरक रचनात्मक कार्यक्षेत्र में नवोदित नेतृत्व हेतु श्री नीरूभाई देसाई स्मृति एवार्ड

नवगुजरात के निर्माण में अपनी मौलिक प्रतिभा और विचारधारा द्वारा एक विशेष छाप अंकित करने वाले निःस्वार्थ सेवाभावी श्री नीरूभाई देसाई के नाम से शायद आज की पीढ़ी अपरिचित हो, परंतु सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान उनके समय के जितना ही आज भी प्रासंगिक है। एक स्वातंत्र्य सेनानी को शोभा देने जैसी निर्भीकता और स्पष्टता से उन्होंने तत्कालीन समय की आर्थिक सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं की छानबीन करके समाधान के साथ मार्गदर्शन दिया था। उनकी मौलिक प्रतिभा तथा मिलनसार स्वभाव के कारण नीरूभाई देसाई प्रत्येक स्तर के लोगों में लोकप्रिय

थे फिर वह उद्योगपति हो, राजनीतिज्ञ, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता या खिलाड़ी हो। उनकी बौद्धिक समृद्धि और विविध विषयों में जीवंत रुचि आश्चर्चजनक थी।

एक पत्रकार के रूप में उन्होंने नए विचारों का सदैव स्वागत किया और पोषण किया। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति हिम्मत करके नया काम करे, दूसरों के लिए उपयोगी काम करे, तो वे बहुत खुश होते थे। उनकी ऐसी प्रगतिशील विचारधारा हमारे बीच सदैव प्रवहमान रहे, इस आशय से श्री नीरूभाई देसाई स्मारक फाउण्डेशन द्वारा प्रति वर्ष 'विकासपरक रचनात्मक कार्यक्षेत्र में नवोदित नेतृत्व हेतु' श्री नीरूभाई देसाई स्मृति अवार्ड प्रदान करने का सोचा गया है।

अवार्ड का विवरण

- कला, शिक्षा, युवा प्रवृतियों, प्रकाशन क्षेत्र में अथवा समाज उपयोगी किसी भी क्षेत्र में साहसिक अभिगम द्वारा श्रेष्ठता स्थापित की हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति और संस्था को अवार्ड दिया जाएगा।
- व्यक्ति/ संस्था का कार्यक्षेत्र गुजरात में होना आवश्यक है।
- व्यक्तिगत श्रेष्ठता के अवार्ड हेतु वय मर्यादा १८ से ४० वर्ष होगी। जबकि संस्थागत अवार्ड हेतु संस्था १० वर्ष से पुरानी न हो।
- अवार्ड हेतु नामांकन सूचना फाउण्डेशन द्वारा प्रदत मार्गदर्शक रूपरेखा के अनुसार ही करनी होगी।
- अवार्ड हेतु नामांकन सूचना व्यक्ति/ संस्था स्वयं कर सकेंगे अथवा अन्य कोई भी कर सकेंगे।
- अवार्ड हेतु योग्य व्यक्ति/ संस्था का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का निर्णय सबको मान्य होगा तथा उस बारे मे किसी तरह का पत्र व्यवहार/चर्चा स्वीकार्य नहीं होगी।
- अवार्ड प्रदान समारोह ११-१-२००६ को होगा।
- अवार्ड हेतु नामांकन सूचना निम्नलिखित समय व स्थानों पर रूबरू अथवा डाक द्वारा दी जा सकेगी।

श्री धीरूभाई सी. त्रिवेदी, एलिस ब्रिज आरोग्य समिति, प्रीतमनगर अखाड़ा अहमदाबाद ३८०००७, फोनः (०७९) २६५८४८४५. श्री चंद्रमौलि पाठक, इंटरनेशनल सेंटर फोर एन्टरप्रिन्योरशिप एंड कैरियर डेवलपमेंट (आई. सेड), ई-१/४१, स्टर्लिंग सिटी, बोपल अहमदाबाद ३८००५८ फोनः (०२७१७) २३००३९/ २३००५९, ई-मेलः maileicedoorg वेबसाइटः www@ icecd.org

देशस्नेही अवार्ड

'इंडिया डेवलपमेंट फाउण्डेशन' नामक बेंगलूर की संस्था का मुख्य काम सम्पूर्ण देश में जो संस्थाएं और व्यक्ति समाज को आर्थिक रूप से और समाजिक रूप से मजबूत बनाने हेतु तथा उनकी तकलीफें दूर करने के लिए काम करते हैं, उन्हें खोज कर, उन्हें निमंत्रित करके बेंगलूर में बुलाकर देशस्नेही एवार्ड प्रदान करना है।

भूदान आंदोलन के समय १९६१-६२ में विश्व प्रवास पर चलते हुए जो दो व्यक्ति गए थे उन में से एक 'इंडिया डेवलपमेंट फाउण्डेशन' के श्री ई. पी. मेनन हैं। उस समय अणु शस्त्रों के विरुद्ध भारत और अन्य देशों का जो विरोध था, वह विचार लेकर श्री मेनन तथा श्री सतीशकुमार पैदल चल कर वर्धा से ठेठ यूरोप, अनेक देशों से गुजरने की इजाजत लेकर जो पैदल यात्रा की थी, उसकी उस समय बहुत प्रशंसा हुई थी और शांति के इच्छुक लोगों ने उसकी बहुत सराहना की थी।

पौने दो वर्षों की पैदल यात्रा के बाद श्री मेनन पिछले ३५ वर्षों से बेंगलूर में बस गए है। वहां उन्होंने अन्य लोगों के सहयोग से १९७०-८० के बीच 'वर्ल्ड कॉलेज फोर पीस' नामक संस्था गठित की और इस संस्था में अलग-अलग देशों से लगभग ५० और १०० के बीच की संख्या में युवक युवतियां आते है और एक वर्ष तक शांति के बारे में अध्ययन करते है। अध्ययन के दौरान वे अलग-अलग संस्थाएं देखने निकलते थे। उस समय का यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम था।

विगत कई वर्षों से श्री मेनन बेंगलूर और उसके आसपास के क्षेत्रों में समाज के दुर्बल वर्ग में काम करने वाली संस्था के लिए मददगार हों, इसी विचार के आधार पर उन्होंने इस देशस्नेही अवार्ड की योजना बनाई है। दिनांक १७ दिसंबर २००५ को बेंगलूर में जिन पांच व्यक्तियों को अवार्ड प्रदान किया गया, उनका विवरण निम्नानुसार हैः

(१) श्री राधाबहन भट्ट, एक स्वातंत्र्य सेनानी और बहनों के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु काम करने वाली संस्था की प्रमुख हैं। हिमाचल के उत्तरांचल भाग में स्थित लक्ष्मी आश्रम के माध्यम से वे आसपास के क्षेत्रों में बहुत काम करती रही हैं। चिपको आंदोलन अर्थात वृक्ष को बाहों में भर कर उसे कटने न देना नामक आंदोलन भी वहीं से जन्मा था। वर्तमान में वे कस्तूरबा राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट की सेक्रेटरी हैं और देश के विविध भागों में प्रवास करके गांधी विचार, सर्वोदय विचार का प्रचार करती हैं।

(२) डॉ. रागिणी प्रेम। इनके स्व. पति प्रेमभाई ने जयप्रकाशनारायण के विचारों के प्रभाव के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच स्थित क्षेत्र में १९५४ में वनवासी सेवा आश्रम की स्थापना की और तब से उसके आसपास के लगभग ५० कि.मी के क्षेत्र में वे संस्था के लगभग १४ केंद्र चला रही हैं। संस्था की विविध प्रवृत्तियों में वनवासियों को शिक्षा, जलसंग्रह, खेतीबाड़ी, बागवानी, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु उपयोगी औषधियां, खादी ग्रामोद्योग, गौपालन, महिला आर्थिक विकास, सरकारी सोसाइटी के माध्यम से विक्रय व्यवस्था इत्यादि कार्यक्रम चलाती हैं। डॉ. रागिणी बहन ने स्वयं डॉक्टर होने के कारण आदिवासियों का बहुत प्रेम पाया है।

(३) श्री पी. गोपीनाथ अय्यर इस समय ८४ वर्ष के है वे स्वाधीनता सेनानी और गांधी विचार की दृष्टि से काम करने में विश्वास रखते हैं, मुख्यतया हिंदू-मुस्लिम एकता और संयुक्त संगठन गठित करके समाज में विकास का काम करते हैं। वे सन् २००२ में मरड साम्प्रदायिक हत्या को रोकने वाले के रूप में केरल में बहुत प्रसिद्ध हुए। अध्ययन में एक स्कॉलर और विनोबाजी की भूदान यात्रा के समय भी केरल के अग्रिम कार्यकर्ता रहे है।

(४) श्री राकेश बहुगुणा अभी सिर्फ ४०-४२ के युवक हैं जो पिछले १२ वर्षों से टिहरी गढ़वाल (हिमालय) के जंगलों में, जंगलों के वृक्षों के संरक्षण, औषधियों के संरक्षण और वहां के निवासी आर्थिक रूप से कैसे सक्षम हों, ऐसी योजनाएं चलाते हैं। लगभग एक लाख वृक्ष उन्होंने लगाए और लगावाये हैं जो आज उन लोगों के विकास का एक बड़ा पहलू है।

(५) श्री सूर्यकांत परीखः आप 'नेशनल सेनिटेशन एंड एन्वायरन्मेंट इम्प्रूवमेंट फाउण्डेशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने मानव मल से बायो-गैस का उत्पादन और बिजली उत्पन्न करने जैसे प्रोजेक्ट हाथ में लिये हैं। ■

पृष्ठ 27 का शेष भाग

सगों, पड़ौसियों- सबको पता लगता है कि पुरुष अपनी पत्नी को परेशान करता था, उसे पुलिस कस्टडी में ले जाया गया और जमानत पर छूटने के लिए कुछ पैसा देना पड़ा। यदि उसने पत्नी के साथ समझौता न किया होता तो उसे और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। उनके लिए यह अनुभव खर्चीला सिद्ध होता है और वे अपनी पत्नियों के प्रति घातक बनने से टल जाते हैं।

उपसंहार

तालिका-८ द्वारा यह देखा जा सकता है कि १९९९ से २००४ तक में १८१७ स्त्रियों का जीवन बचाया जा सका है। पुलिस में कलम ४९८ के अधीन शिकायत दर्ज कराई गई थी, इसी से यह संभव हुआ है। कहा जाता है कि जब घरेलू हिंसा घटी ही नहीं तो फिर इस कानून का क्या उपयोग? 'अवाज' यह मानता है कि कानून उपयोगी है। इससे अनेक स्त्रियों का जीवन बचा है। घर में उनके खिलाफ हिंसा घटी है। इसके लिए पुलिस सब-इंसपेक्टरों और इंसपेक्टरों का आभार माना जा सकता है।

यह अध्ययन स्त्रियों की अप्राकृतिक मृत्यु संबंधी बहुत सी मान्यताओं को गलत ठहराता है। सामान्यतया यह समझा जाता है कि जिन दुर्घटनाओं में स्त्रियां मरती हैं वे वाकई दुर्घटनाएं होती हैं। यदि ऐसा ही हो तो हमारे रसोईघर बहुत घातकी हैं, ऐसा कहा जाए। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में दुर्घटना न हो, यह जितना महत्त्वपूर्ण है यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है स्त्रियों संबंधी सामाजिक रुझानों का बदला जाना। पुलिस, समाज और उनमें भी खासतौर से पुरुषों तथा स्त्रियों के अपने रुझान बदलने के हमारे प्रयास भविष्य में और ज्यादा प्रभावी सिद्ध होंगे, ऐसी आशा है। ■

संदर्भ सामग्री

सोशियल वाच इंडियाः सिटिजन्स रिपोर्ट ऑन गवर्नेन्स एंड डेवलपमेंट-२००६

'नेशनल सोशियल वाच कोयेलिशन' के इस वर्ष के प्रतिवेदन में शासन प्रक्रिया में केन्द्रीय स्थान रखने वाली संस्थाओं की कार्यवाही की जांच-परख की गई है। इन संस्थाओं में संसद, मंत्रिमंडल, न्यायतंत्र एवं स्थानीय स्वशासी संस्थाएं अर्थात् पंचायतें और पालिकाएं समाविष्ट हैं। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यांकों, साझा न्यूनतम कार्यक्रम और दसवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में अधिकारों के दृष्टिकोण से इन संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है।

इस प्रकार का मूल्यांकन तैयार करने के पीछे निहित उद्देश्य ज्ञान एवं सूचना का उपयोग उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में करना है जिसमें नागरिक शासन की संस्थाओं पर देखरेख रखने की स्थिति में होते हैं और उनको सहभागी, समावेशी व उत्तरदायी बनाते हैं। इस प्रतिवेदन में शासन और उत्तरदायित्व को सार्वजनिक संवाद के केंद्र में रखा गया है।

शासन की इन चार संस्थाओं की कार्यवाही की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि उनमें थोड़ी प्रगति अवश्य हुई है पर विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तथा देश के सभी प्रदेशों तक पहुंचे, इस संबंध में इन संस्थाओं की कार्यवाही में अनेक समस्याएं बाधक हैं। बेशक उपलब्धियो के कई टापू हैं, पर अधिकांश गरीब और पिछड़े लोग पिछड़े ही रहे हैं। इन वर्गों को लोकतंत्र और शासन का मूल्य तभी समझ में आ सकता है जब ये जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालें।

शासन व्यवस्था और विकास में रुचि लेने वाले लोगों को यह प्रतिवेदन वास्तव में उपयोगी सामग्री प्रदान करता है। शासन की संस्थाओं का मूल्यांकन किस तरह हो सकता है, इसके निर्देशक बिंदु भी इससे सुलभ होते हैं। राज्य स्तर पर ऐसी सामाजिक देखरेख की प्रक्रिया १३ राज्यों में फैली हैः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। प्रत्येक राज्य में यह प्रक्रिया इस अर्थ में भिन्न-भिन्न रही है कि वहां अलग-अलग मुद्दों पर देखरेख रखी गई है और मूल्यांकन किया गया है। इसे भी संबंधित प्रदेश की प्रासंगिकता को ध्यान में रख कर किया गया है। यथा - बजट का विश्लेषण, प्राथमिक व उच्च शिक्षण, शहरी प्रशासन, विधानसभा और विधान परिषदों की कार्यवाही का मूल्यांकन इत्यादि।

लेखकः सर्व श्री अजय के. मेहरा, विदेश उपाध्याय, अजित प्रकाश, बिनोय आचार्य, लीसा जॉनः संपादकः अमिताभ बहेर, जोन सेम्युअल, जगदानंद, योगेशकुमारः प्राप्ति स्थानः पियर्सन एज्युकेशन. इन साउथ एशिया, ४८२ एफ.आई.ई. पटपड़गंज दिल्ली १२००९२, मूल्यः ४०० रु.

दलित आंदोलन के प्रेरणा प्रतीक

आज राजस्थान में अनेक स्तरों पर दलित कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा सामाजिक कार्यकर्ता दलितों के अधिकारों हेतु काम कर रहे हैं। उनके बीच एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित हो, इसके लिए दिनांक २२-११-२००५ से ६-१२-२००५ के बीच राजस्थान में 'दलित अधिकार कारवां' का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के संदर्भ में यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। पुस्तक में मुख्य रूप से १६वीं से २०वीं सदी तक के भारत के दलित कर्मवीरों के विचारों, संघर्ष व प्रभाव की गाथा संजोई गई है। इसमें १७ महापुरुषों के बारे में संक्षेप में तथ्य प्रकाशित किये गए हैं और अंतिम भाग में डॉ. अम्बेडकर के कई कथनों को उद्धरणों के रूप में दिया गया है। इन महापुरुषों ने दलितोत्थान के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। इन समाज सुधारकों ने तत्कालीन दलित जातियों की दयनीय दशा और दुर्गति में सुधार लाने के प्रयास किये थे। उनके जीवन व कार्य सब के लिए प्रेरणास्पद हैं। यह पुस्तक दलित संघर्ष में कार्यरत

व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, दलितों तथा जन समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी है।

लेखकः बाबूलाल चांवरिया, प्रकाशक 'उन्नति', जी-५५ शास्त्रीनगर, जोधपुर-२४२००३, राजस्थान, फोनः ०२९१-२६४२१८५, २६४३२४८. ई-मेलः unnati@datainfosys.net

ग्राम पंचायत की वित्तीय व्यवस्था

भारत सरकार ने पंचायतों की रचना हेतु ७३वें संविधान संशोधन से मार्ग प्रशस्त किया था, परंतु यह जरूरी है कि इन पंचायतों को सक्षम बनाने हेतु उनकी वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत हो। इस संबंध में अनेक कानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के विषय में जागरूकता के लिए 'पंचायत शिक्षण संपुट' तैयार करने की बात सोची गई है। संपुट की यह पहली पुस्तिका है, इस बारे में सरल भाषा में जानकारी दी गई है। गुजरात पंचायत अधिनियम १९९३ की विविध धाराओं में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वे तथा उन धाराओं के अनुसार जो विविध नियम बनाये गए हैं, वे सरल भाषा में यहां प्रस्तुत किये गए हैं। पुस्तिका में समेटे गए विषय इस प्रकार हैंः ग्राम पंचायतों के कर व फीस, कर व फीस की बकाया राशि की वसूली के नियम, अनुदान व ऋण, लोन लेने की ग्राम पंचायत की सत्ता, ग्राम फंड, ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति, ग्राम पंचायतों के राजस्व अधिकार व कार्य, ग्राम पंचायत के हिसाब, सरपंच की लेखा संबंधी जिम्मेदारियां, सरपंच के विकास एवं प्रशासनिक कार्यों का आयोजन, पटवारी के लेखा विषयक कर्तव्य, ग्राम पंचायत के हिसाबों का ऑडिट, वार्षिक प्रशासनिक विवरण, ग्राम पंचायत का बजट, ग्राम सभा के कर्तव्य। इनके अलावा अंत में पहले गुजरात वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था हेतु जो सिफारिशे की थीं, वे दी गई हैं। इस वित्त आयोग का गठन १९९५ में किया गया था और १९९८ में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ये सिफारिशें कुल ३३ विषयों को लेकर हैं और इनकी संख्या ७९ हैं।

पंचायत के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि का काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्राम सभा के सदस्यों हेतु यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। लेखन और संयोजनः हेमंतकुमार शाह, प्रकाशकः श्री दिनेश परमार, निदेशक बिहेवियेरल साइंस सेंटर, सेंट जेवियर्स कॉलेज केम्पस नवरंगपुरा, अहमदाबाद-३८०००९. फोनः ०७९-२६३०४९२८, २६३०३५७७. फैक्सः ०७९-२६३०७८४५ ई-मेल-sxnfesadi@sancharnet.in प्रथम आवृत्ति : अक्टूबर-२००५, पृष्ठः ४३, सहयोग राशि : १५ रु.

सूचना अधिकार मार्गदर्शिका

हाल ही में संसद ने सूचना अधिकार विधेयक (बिल) पारित किया था, जिसका क्रियान्वयन १२-१०-२००५ को शुरू हो गया है। इस मसौदे के बारे में सरल गुजराती भाषा में इस पुस्तिका में जानकारी दी गई है। इसमें चार प्रकरण हैंः

प्रकरण-१ में सूचना अधिकार कानून व नियमों के अमल की रूपरेखा दी गई है। सूचना अधिकार का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का विस्तार, सूचना अर्थात् क्या, सूचना का अधिकार सार्वजनिक सत्ताधिकारी के दायित्व और कार्यालयी कामकाज के विवरण, जाहिर न करने के विवरण, क्या आंशिक सूचना जाहिर की जा सकेगी? सार्वजनिक सत्तातंत्र अर्थात् क्या?, अवशिष्ट रखे गए विभाग-कार्यालय और उनकी मर्यादाएं, तीसरे पक्षकार और उनके अधिकार, सार्वजनिक सूचना अधिकारी कौन हैं? सार्वजनिक सूचना अधिकारी के कर्तव्य, सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, सूचना प्राप्ति की समयावधि, सूचना-फीस, सूचना के अस्वीकार के कारण, अपील सत्ताधिकारी, अपील की समय-सीमा और कार्यरीति, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन, सूचना आयोग की सत्ता व कार्य, विवरण देने की कार्य पद्धति, दंड की व्यवस्थाएं, अदालतों के अधिकार क्षेत्र की मर्यादा, केंद्र-राज्य सरकारों की भूमिका इत्यादि मुद्दे इस प्रकरण में समेटे गए हैं।

प्रकरण-२ में सूचना अधिकार कानून २००५ का गुजराती अनुवाद दिया गया है। इस कानून में छह प्रकरण, ३१ कलमें और दो अनुसूचियां हैं। इन सबका गुजराती अनुवाद यहां उपलब्ध है।

प्रकरण-३ में इस कानून के अमल हेतु गुजरात सरकार द्वारा बनाये गए नियम दिये गए हैं।

प्रकरण-४ में गुजरात सरकार के अलग-अलग २७ विभागों की वेबसाइटों की सूची दी गई है।

सूचना अधिकार का उपयोग करने के इच्छुक नागरिक और इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए यह पुस्तिका अत्यंत उपयोगी है।

लेखकः विपिनचंद्र वैष्णव, प्रथम आवृत्ति, नवंबर २००५, मूल्यः ५० रु. प्रकाशकः नवसर्जन पब्लिकेशन, पतासा पोल के सामने, गांधी रोड, अहमदाबाद।

बदलाव के संकेत

इस हिन्दी पुस्तक में सहभागी शिक्षण केंद्र और सहयोगी संस्थाओं के अनुभवों पर आधारित अलग-अलग ऐसे दृष्टांत दिये गए हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के श्रेष्ठ कार्यों और इसके लिए किये गए संघर्षों को उजागर करते हैं। जिन लोगों के प्रयासों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है वे गांवों में रहने वाले नितांत सामान्य लोग हैं, परंतु ये ऐसे लोग हैं जिनके मन में गांव के लिए कुछ सोचने और कुछ कर गुजरने की तलब है अतः ऐसे लोगों को असाधारण लोगों की कोटि में रखा जा सकता है। इनके साधारण प्रयासों से पंचायत को सशक्त बनाने और ग्राम स्वराज सिद्ध करने के सपने हकीकत बनें ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। इस पुस्तक में १० सफल कहानियां दी गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

१. आदर्श गांव का सपना : पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद का जमुनिया गांव और कमल प्रसाद के प्रयास। 'समाधान मानव संस्थान' उसमें स्थानीय संस्था है।
२. ग्रामीणों के जीवन स्तर को उठाने की कोशिशः प्रतापगढ़ जनपद की परियावां ग्राम पंचायत की सरपंच राजकुमारी द्वारा गांव के गरीबों को विभिन्न योजनाओं के लाभ देने के प्रयास। 'इंडियन रूरल टेक्नोलोजी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट' उनमें स्थानीय संस्था है।
३. नेता दलितों का : उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड प्रदेश के बांदा जिले में गडरिया ग्राम पंचायत। सूरजपाल के ग्राम विकास के प्रयास। 'पंचायत अध्ययन केंद्र' उसमें स्थानीय संस्था के रूप में काम करता है।
४. संवारा ने संवारा कमला को : बहराइच जिले के कमलाजोत की संवारा देवी ने दलितों, पीड़ितों और महिलाओं के विकास हेतु कार्य किया। 'साहस सेवा संस्थान' स्थानीय संस्था के रूप में काम करती है।
५. सूचना शक्ति है : बहराइच जिले के लखैया जहीड ग्राम में जगदीश प्रसाद सूचना प्रचार-प्रसार के लिए काम करते हैं। 'साहस सेवा संस्थान' उसमें स्थानीय संस्था के रूप में काम करता है।
६. ताकत औरतों की : बहराइच जिले के उत्तमापुर गांव की रेनू देवी ने तमाम स्त्रियों को शक्ति-सम्मन्न बनाने हेतु प्रयास किये हैं। 'साहस सेवा संस्थान' स्थानीय संस्था के बतौर इस गांव में काम करती है।
७. बिन्दु - मददगार लोगों की : रायबरेली जनपद के जमुर्वा बुजुर्ग गांव की बिंदु और उसके पति श्रीकृष्ण के प्रयासों से गांव की सूरत बदल गई है। 'लोकमित्र' स्थानीय संस्था के बतौर कार्यरत है।
८. एकता की ताकत : मऊ जनपद के बीबीपुर गांव में गांव की महिलाएं शाला का ध्यान रखती हैं। स्त्रियों ने सामूहिक प्रयासों से अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास किया है। 'जनपद विकास एवं समाज कल्याण समिति' स्थानीय संस्था के रूप में काम करती है।
९. जानकारी के सहारे विकास की ओर : खैराबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत जौनपुर में सूचना के प्रचार-प्रसार से सरकारी योजनाओं के अमल का काम हुआ है। 'सहभागी शिक्षा केंद्र' स्थानीय संस्था के रूप में वहां कार्यरत है।
१०. गांव का वैद्य : सीतापुर जनपद की भिडौली ग्राम पंचायत में विमलकुमार नामक पंचायत सदस्य एक आदर्श प्रतिनिधि बन कर गांव के विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। 'पार्टिसिपेटरी एक्शन फोर कम्युनिटी एम्पावरमेंट' वहां स्थानीय संस्था के रूप में काम कर रही है।

प्राप्ति स्थान : सहभागी शिक्षण केंद्र, छठी मंजिल, बी.के.टी., सीतापुर रोड, लखनऊ-२२७२०८, फोन-फैक्सः ०५२१२-२९८००३-००६, ई-मेलः info@sahbhagi.org ■

विगत तीन माह की अवधि में 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार प्रवृत्तियां हाथ में ली गई थीं :

१. सामाजिक समावेश और सक्षमता

दलितों के अधिकार

हमारा साझा प्रयास 'दलित अधिकार अभियान' अच्छी प्रगति कर रहा है। पिछले तीन महीने के दौरान अत्याचार के ८ मामले, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव के ३ मामले और जमीन पर कब्जे संबंधी ५ मामले हाथ में लिये गए थे। तहसील व जिले स्तर पर प्रदर्शन आयोजित करके १२२ बीघा जमीन मुक्त करवाने में सफलता मिली थी। दलित महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए एक दिन की ६ कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। उनमें १०२ महिला सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया था। कार्यशालाओं में सूचना अधिकार अधिनियम और विविध सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई थी।

'उर्मुल मरुस्थली बुनकर विकास समिति' - फलौदी, चितौड़गढ़ के 'प्रयासर संस्थान' और जयपुर के 'नेशनल सेंटर फोर दलित राइट्स' के संयुक्तावधान तले राज्य स्तर पर 'दलित अधिकार कारवां का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य हेतु राजस्थान में दलित कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना था। तीन अलग अलग स्थानों - फलौदी, चित्तौड़गढ और हनुमानगढ़ से रैली की शुरूआत २२-११-०५ को हुई थी और जयपुर में वह ६-१२-०५ को सम्पन्न हुई थी। राजस्थान के २७ जिलों को इसमें समेटा गया था। 'उन्नति'ने पश्चिमी राजस्थान की रैली में भाग लिया था और समग्र प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने की जिम्मेदारी उठाई थी। इस संबंध में श्री बाबूराम चांवरिया द्वारा लिखित दलित नेताओं के जीवन और कार्य को समेटते हुए एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया था।

राजस्थान में मध्यस्थता के १० वर्ष का सहभागी मूल्यांकन हाथ में लिया गया था। यह प्रक्रिया श्री गिरीश भारद्वाज और सुश्री अरजीत कौर द्वारा हाथ में ली गई थी।

विकलांगों का मुख्य धारा में समावेश

'हैंडिकेप इंटरनेशनल' और 'क्रिस्टोफल ब्लाइंडेन मिशन' द्वारा फिलीपीन्स के मनीला में १६ से १८ नवंबर २००५ के मध्य अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेश को प्रोत्साहन देने हेतु विकासलक्ष्यी संगठनों द्वारा किये गए प्रयास की समीक्षा की गई थी। उसमें 'उन्नति' सहित ४ देशों के ३ संगठनों के २५ सहभागियों ने भाग लिया था। समुदाय, अपनी संस्था, अन्य संस्थाएं और सरकार - यों अलग-अलग स्तर पर पिछले दो वर्षों के दौरान हुए बदलावों की चर्चा की गई थी। उसके परिणाम स्वरूप विकलांगों के जीवन में आये परिवर्तनों की भी चर्चा हुई और ऐसे ही अन्य इच्छित प्रयासों हेतु सिफारिशें की गईं। आयोजकों द्वारा इस प्रक्रिया में विषय में एक विवरण तैयार हो रहा है और वह जल्दी ही सबको प्राप्त होगा।

बाढ़ राहत

जून २००५ में गुजरात में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आई थी। पांच सहयोगी संस्थाओं द्वारा साथ मिल कर ७ जिलों में बाढ़ राहत के कदम उठाये गए थे। उसमें अनाज, घरेलू उपयोग की चीजें, खेती की वस्तुएं और कामचलाऊ आवास जैसे मामलों में लगभग ७००० परिवारों को सहयोग प्रदान किया गया था। इन तीन माह के दौरान बाढ़ राहत का अंतिम चरण हाथ में लिया गया और ६०० परिवारों को कामचलाऊ आवास हेतु सामग्री - खपरैल, बांस, सीमेंट, की चद्दरें और ईंटें प्रदान की गईं और लाभार्थियों ने स्वयं उसमें श्रमदान किया। पांच स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें ५२० रोगियों का इलाज किया गया।

विपत्ति के मुकाबले की तैयारी

विपत्ति के मुकाबले की समुदाय आधारित योजनाएं गुजरात में कच्छ जिले में भचाऊ तहसील के दो गांवों में तैयार हो रही हैं। एक गांव में १०० एकड़ के तालाब के मरम्मत का काम ग्राम पंचायत के साथ विचार-विमर्श करके किया गया। भचाऊ नगर में १५ घरों का मरम्मत

कार्य हाथ में लिया गया। विपत्ति के मुकाबले की समुदाय आधारित विधियों का अध्ययन हो रहा है। साहित्य का अध्ययन किया गया और व्यावहारिक विधियों का भी अध्ययन किया गया।

पिछले ५ वर्षों से हम कारीगरों के जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन देने के प्रयास हाथ में ले रहे हैं। इस अवधि के दौरान ३२ वस्तुएं विकसित की गई हैं और इन तीन माह के दौरान ५ नयी वस्तुएं और जोड़ी गईं। महिला कारीगरों द्वारा कढ़ाई-बुनाई की जो चीजें बनवाई गईं, उन्हें पुष्कर और नयी दिल्ली में आयोजित दो प्रदर्शनियों में बेचा गया। विविधीकरण के लिए कसीदाकारी की नई डिजाइनों के प्रयास किये जा रहे हैं।

क्षमता वर्धन

हिमायत और शासन के विषय में १५ से १७ दिसंबर २००५ के मध्य एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें २ संगठनों के ३० सहभागियों ने भाग लिया था।

स्त्री-पुरुष सामाजिक भेदभाव के बारे में नागरिक नेताओं को संवेदनशील बनाने के लिए अंग्रेजी व गुजराती में एक मैनुअल का मसौदा तैयार किया गया है।

२. नागरिक नेतृत्व और शासन

ग्रामीण

गुजरात में तहसील व जिला पंचायतों के चुनाव २५.१०.२००५ को आयोजित किये गए थे। अहमदाबाद, साबरकांठा, कच्छ और जामनगर ४ जिलों की १२ तहसीलों में ४६२ ग्राम पंचायतों में चुनाव पूर्व का मतदाता जागरूकता अभियान हाथ में लिया गया था। कच्छ में भचाऊ तहसील में ५८ गांवों में भी ऐसा ही अभियान हाथ में लिया गया था। सरपंचों, सामाजिक न्याय समितियों और महिला प्रतिनिधियों के अनेक नेटवर्क के साबरकांठा में सरकार से आदिवासी उप योजना की स्थिति विषयक सूचनाएं जानने का प्रयास किया गया। इस हेतु २३ पंचायतों के ३७ प्रतिनिधियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों की स्थिति के बारे में एक

शेष पृष्ठ 35 पर

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-55612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।